3. निधि प्रवाह खातों का संकलन

3.1. परिचय

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में निधि प्रवाह खाते का स्थान राष्ट्रीय आर्थिक लेखाकरण की चार अनुपूरक प्रणालियों में से एक है; अन्य तीन हैं : राष्ट्रीय आय खाता, राष्ट्रीय तुलनपत्र और इनपुट-आउटपुट विश्लेषण । भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निधि प्रवाह खाते के संकलन का काम 1959 में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) और भारतीय रिज़र्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में आरंभ किया गया । बाद में, 1959 में खातों का एक मॉडल सेट, जिसका अनुसरण किया जा सकता था, का सुझाव इस प्रयोजन के लिए गठित कार्यकारी दल द्वारा दिया गया । इस दल ने उस समय उपलब्ध सांख्यिकी को ध्यान में रखा और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो.एच.डब्लू.आंट द्वारा 1959 में इस दिशा में किये गये महत्वपूण कार्य को ध्यान में रखा । बाद में इस कार्य को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित किया गया और नियमित रूप से वित्तीय प्रवाह खातों का प्रकाशन किया जाने लगा । निधि प्रवाह खाते में निवेश के वित्तपोषण के मार्ग को स्पष्ट किया जाता है और आर्थिक कार्यकलाप एवं वित्तीय कार्यकलाप के बीच अनुक्रिया को भी स्पष्ट किया जाता है और साथ-साथ भिन्न-भिन्न आर्थिक इकाइयों के बीच निधियों के लेनदेन को भी दिखाया जाता है । इस प्रकार निधि प्रवाह खाता एक ऐसे सेट वाले खातों का द्योतक होता है, जिसको भिन्न-भिन्न आर्थिक इकाइयों के बीच धन और ऋण के माध्यम से किये गये लेनदेन को दिखाने के लिए डिजाइन किया जाता है । इन लेनदेनों में वस्तु-विनिमय प्रणाली, किसी खास इकाई से संबंधित आंतरिक स्वरूप के बही अंतरणों, आंतर-इकाई लेनदेनों और सन्निविष्ट लेनदेनों को छोड़ दिया जाता है ।

निधि प्रवाह खातों को वित्तीय प्रवाह और वित्तेतर प्रवाह में विभाजित किया जा सकता है । वित्तेतर कोटि

में चालू प्राप्तियों, चालू भुगतानों से संबंधित लेनदेन शामिल होते हैं, जिनमें मुद्रा या मुद्रावत् धारणों, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय या एकपक्षीय अंतरण और वास्तविक आस्तियों का निर्माण, यथा, अचल आस्ति निर्माण या वस्तु-सूची में बढ़ोतरी अंतर्भूत होती है । चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान चालू खाते में प्रकट होते हैं, जबकि वास्तविक आस्ति-निर्माण एवं इसका वित्तपोषण पूँजीगत खाते में प्रकट होते हैं । उधार और कर्ज देने संबंधी परिचालनों के संबंध में लेनदेन, जिसका परिणाम उधार या ऋण की अदायगी और वित्तीय आस्तियों में वृद्धि/कमी में दिखता है, को वित्तीय प्रवाह का नाम दिया जाता है ।

अपने स्वरूप से ही 'निधि प्रवाह' किसी आर्थिक इकाई के किसी अवधि के दौरान लेनदेन को इंगित करता है । निधियों के स्रोत देयताओं (उधार) में वृद्धि और आस्तियों में गिरावट (मुद्रा शेष और आस्तियों में कमी) का कारण बनते हैं । निधियों के उपयोग में समाविष्ट होते हैं :देयताओं में गिरावट (ऋण अदायगी) और आस्तियों में वृद्धि (आस्तियों का अर्जन) । जब खातों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, तब कहा जाता है कि वे 'सकल आधार' पर हैं । लेकिन व्यवहार में ऐसे आँकड़े सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं कि वे खातों को सकल आधार पर प्रस्तुत कर सकें और इसीलिए उन्हें निवल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है । दूसरे शब्दों में, केवल देयताओं में निवल वृद्धि और और आस्तियों में निवल वृद्धि को दिखाया जाता है ।

अगले कुछ खंड आँकड़ों के विभिन्न स्रोत प्रस्तुत करते हैं और बहुत हद तक वित्तीय निधि प्रवाह खातों (जिन्हें वित्तीय प्रवाह खाते भी कहा जाता है) की संकलन क्रियाविधि प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार, इस खंड में उल्लिखित 'निधि प्रवाह' को इसके बाद सामान्यतः वित्तीय प्रवाह खातों से संबंधित माना जायेगा ।

3.2. भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय वर्गीकरण

निधि प्रवाह खातों (एफओएफ) के प्रयोजनार्थ भारतीय अर्थव्यवस्था को छह क्षेत्रों में बाँटा गया है, जिसके वर्गीकरण के लिए मानदंड संस्थागत विन्यास और कार्यकलाप की स्थिति होता है ।

छह क्षेत्र हैं (i) बैंकिंग, (ii) अन्य वित्तीय संस्थाएँ, (iii) निजी कंपनी कारोबार, (iv) सरकार, (v) शेष विश्व और (vi) घरेलू । यह निधि प्रवाह के संबंध में गठित कार्यकारी दल, 1963 की सिफारिशों के अनुरूप है । प्रत्येक क्षेत्र की व्याप्ति नीचे दर्शायी गयी है :

(i) बैंकिंग क्षेत्र : इसमें वे संस्थाएँ शामिल होती हैं, जिनकी देयता मुद्रा और जमाराशियों से बनती है। इसमें विनिर्दिष्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक, जो करेंसी जारी करने वाला प्राधिकरण है, और जमाराशि ग्रहण करने वाले बैंक, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ समाविष्ट होती हैं, को शामिल किया जाता है । वाणिज्यिक बैंकों में समाविष्ट हैं भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षे.गा.बैंक), अन्य भारतीय अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक, और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंक । 'सहकारी बैंक और ऋण समितियों' में शामिल होते हैं राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, कृषि एवं कृषीतर ऋण समितियाँ, केंद्रीय और प्राथमिक भूमि विकास बैंक और औद्योगिक (राज्य एवं केंद्रीय) सहकारी बैंक ।

(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएँ : इस क्षेत्र में शामिल संस्थाएँ अनुबंध 3.1 में सूचीबद्ध की गयी हैं । इस क्षेत्र में शामिल हैं i) वित्तीय निगम और

कंपनियाँ, ii) बीमा और iii) भविष्य एवं पेंशन निधियाँ, वित्तीय निगम, जिनमें अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर विकास वित्तीय संस्थाएँ शामिल होती हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई), म्युचुअल फंड और गैर बैंकिंग वित्तीय एवं निवेश कंपनियाँ । बीमा उपक्षेत्र में समाविष्ट होते हैं जीवन और सामान्य बीमा निगम और कंपनियाँ। गैर सरकारी भविष्य निधि में शामिल होती हैं कर्मचारी भविष्य निधि योजना, समुद्री नाविक पी.एफ. स्कीम, भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, आदि की कर्मचारी भविष्य निधि, (ब्यौरे के लिए देखें अनुबंध 3.1) ।

(iii) निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र : सहकारी ऋणेतर समितियाँ और गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियाँ इस क्षेत्र के दो उपक्षेत्र हैं । सहकारी ऋणेतर समितियों में समाविष्ट होते हैं विपणन समितियाँ, सहकारी चीनी कारखाना, कपास ओटनी एवं संपीडन समितियाँ, दुग्ध आपूर्ति संघ एवं समितियाँ, मत्स्यपालन समितियाँ, कृषि समितियाँ,सिंचाई समितियाँ, उपभोक्ता सहकारी भंडार, गृह-निर्माण समितियाँ, बुनकर समितियाँ, कताई मिल, आदि, जिनका ब्यौरा अनुबंध 3.1 में दिया गया है । गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों में समाविष्ट होते हैं पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ (जिनमें विदेश नियंत्रित रुपया कंपनियाँ शामिल हैं), जो भारत में भारतीय संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और भारत में परिचालनरत विदेशी कंपनियों की शाखाएँ । परिचालनरत कंपनियों की परिभाषा वैसी कंपनियों के रूप में दी जाती है, जिन्होंने नियमित वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है और अपने मुख्य कार्यकलाप से आय का अर्जन करने लगी हैं । तथापि, इनमें निम्नलिखित कंपनियों को शामिल नहीं किया जाता है : (i) निर्माणाधीन कंपनियाँ, (ii) संवर्धक एवं विकासात्मक संगठन / लाभ के लिए कार्य न करनेवाले संघ (iii) ऐसी कंपनियाँ, जो किसी कारोबार/कार्यकलाप की रिपोर्ट नहीं करती हैं, (iv) ऐसी कंपनियाँ, जिनका परिसमापन होने ही वाला है, (v) ऐसी कंपनियाँ, जिन्होंने अपनी आस्तियाँ बेच दी हैं, (vi) ऐसी कंपनियाँ, जिनके परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है, और (vii) ऐसी कंपनियाँ, जिन्होंने पहले ही किसी खास तिथि को ऐच्छिक परिसमापन किये जाने के लिए आवेदन दिया है ।

(iv) सरकार : इस क्षेत्र के घटक हैं : (क) केंद्र सरकार और इसके विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम, (ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें उनके विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम शामिल हैं, (ग) स्थानीय प्राधिकरण (जिनमें नगर निगम, नगरपालिकाएँ, पंचायतें और पत्तन न्यास आते हैं) और (घ) सरकारी गैर विभागीय गैर वित्तीय वाणिज्यिक उपक्रम, जिनमें राज्य बिजली बोर्ड शामिल हैं । डाकघर बचत बैंकों को भी शामिल किया जाता है ।

(v) शेष विश्व : इस क्षेत्र के अंतर्गत निवासी इकाइयों की सभी अनिवासी इकाइयों, जिनमें विदेश में भारतीय राष्ट्रिक, विदेशी राष्ट्रिक और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ शामिल हैं, के साथ किये गये लेनदेन आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की एक सूची अनुबंध 3.3 में दी गयी है।

(vi) घरेलू क्षेत्र : यह अवशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति, घरेलू उद्योग, कृषि/फर्म कारोबार और कृषीतर/फर्म कारोबार वाले गैर सरकारी गैर कंपनी उद्यम (जैसेकि एकल स्वामित्व और सहभागिता वाले उद्यम), न्यास और निर्लाभ संस्थाएँ समाविष्ट होती हैं ।

3.3 लिखत

उपलब्ध वित्तीय लिखतों को एफओएफ खातों में निम्नलिखित ग्यारह कोटियों में समूहित किया जाता है :

(i) मुद्रा : इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये संचलन में नोट और भारत सरकार द्वारा जारी एक रुपये के नोट और सिक्के शामिल होते हैं ।

(ii) जमाराशियाँ : इसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी ऋण और ऋणेतर संस्थाओं के पास जमाराशियों के साथ-साथ वित्तीय निगमों, सरकार और शेष विश्व द्वारा प्राप्त जमाराशियाँ भी शामिल की जाती हैं । यहाँ गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमाराशियाँ भी शामिल होती हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनिवार्य जमा, जिन्हें अलग से दिखाया जाता है, को छोड़ दिया जाता है।

(iii) निवेश : इस कोटि के अंतर्गत निम्नलिखित लिखत आते हैं :

सरकारी प्रतिभूतियाँ : इसमें शामिल होते हैं बाजार ऋण, खजाना बिल, विशेष बांड (वाहक बांड सहित) और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये क्षतिपूर्ति बांड और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य जमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक से लिया गया उधार।

सरकार की अन्य प्रतिभूतियाँ (लघु बचत से भिन्न): इसमें शामिल होते हैं बांड, शेयर और डिबेंचर, जो पत्तन न्यास, नगर निगम, आवास बोर्ड, राज्य बिजली बोर्ड और गैर विभागीय गैर वित्तीय उपक्रमों द्वारा जारी किये जाते हैं ।

बैंकों की प्रतिभूतियाँ : यह भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की चुकता पूँजी, सहकारी बैंकों एवं ऋण समितियों द्वारा जारी किये गये शेयरों और डिबेंचरों को विनिर्दिष्ट करता है ।

अन्य वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियाँ : वित्तीय निगमों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बीमा कंपनियों द्वारा जारी किये गये शेयर, यूनिट, बांड और डिबेंचर यहाँ शामिल किये जाते हैं ।

निजी कंपनियों की प्रतिभूतियाँ : गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों और सहकारी ऋणेतर समितियों द्वारा जारी किये गये शेयरों और डिबेंचरों को यहाँ शामिल किया जाता है ।

विदेशी प्रतिभूतियाँ : विदेशी संस्थाओं द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों, शेष विश्व के निधियों के स्रोत के अंतर्गत निवेशों के सामने उल्लिखित विदेशी मुद्रा आस्तियों को यहाँ शामिल कया जाता है ।

अन्य प्रतिभूतियाँ : जब किसी क्षेत्र के लिए प्रतिभूतियों के ब्यौरों को नहीं पहचाना जाता, तब उन्हें इस कोटि के अंतर्गत दर्शाया जाता है ।

(iv) ऋण एवं अग्रिम : इस शीर्ष में शामिल मदों में सभी क्षेत्रों के उधार होते हैं ।

(v) लघु बचत : राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाकघर जमाराशियां, आदि जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, इस लिखत में शामिल की जाती हैं ।

(vi) भविष्य निधि:गैर सरकारी भविष्य निधियाँ और सरकारी भविष्य निधियाँ यहाँ शामिल की जाती हैं। पेंशन निधियां भी यहाँ शामिल की जाती है।

(vii) आजीवन निधि : इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल मदें हैं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की जीवन बीमा निधि, केंद्र सरकार की डाक बीमा निधि और राज्य सरकार की बीमा निधि ।

(viii) अनिवार्य जमा : यह विधायी अपेक्षाओं, यथा, अनिवार्य जमा योजना, 1974 के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक में रखी गयी जमाराशियों को

निर्दिष्ट करता है । अब यह योजना वापस ले ली गयी है ।

(ix) व्यापार ऋण/कर्ज : इस शीर्ष के अंतर्गत गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों, सरकारी गैर विभागीय उपक्रमों और पत्तन न्यासों द्वारा व्यापार ऋण/ कर्ज की रिपोर्ट की जाती है ।

(x) विदेशी दावे, जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया: कुछ विदेशी दावे, जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध किसी भी लिखत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सका, यहाँ दर्शाए जाते हैं। ऐसी मदें हैं (i) वाणिज्यिक बैंकों का शाखा समायोजन - भारत के बाहर, (ii) फार्म 'एक्स' ' ' के अनुसार देयताओं से अधिक आस्तियाँ और (iii) ऐसी मदें, जो निधियों के स्रोत/उपयोग के अंतर्गत उल्लिखित की जा सकती हैं।

(xi) अन्य मदें, जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया: उन मदों को, जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध किसी भी लिखत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सका, यहाँ दर्शाया जाता है । ये मदें निधियों के स्रोत और उपयोग से भिन्न हो सकती हैं । सामान्यतः देय/प्राप्य बिल, भारत में शाखा समायोजन, अन्य वित्तीय देयताएँ, अन्य वित्तीय आस्तियाँ यहाँ रिपोर्ट की जाती हैं । केंद्र सरकार के लिए, घरेलू स्वर्ण और रजत की निवल खरीद (निधियों का उपयोग) को इस कोटि के सामने दर्शाया जाता है।

3.4. आँकड़ों का स्रोत

व्यापक व्याप्ति और असमुच्चयित प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से भिन्न-भिन्न स्रोतों से अपरिमित आँकड़ों की जरूरत होती है, ताकि एफओएफ खाता तैयार किया जा सके । भारत में, अपेक्षित आँकड़े प्रकाशित तुलनपत्रों, संबंधित संस्थाओं के निधियों के स्रोत एवं उपयोग से संबंधित विवरणों, सर्वेक्षणों में उपलब्ध आँकड़ों और केवल एफओएफ खातों के निर्माण के लिए डिजाइन की गयी विशेष विवरणियों से लिये जाते हैं । तथापि, घरेलू क्षेत्र के लिए कोई स्वतंत्र खाता उपलब्ध नहीं है । घरेलू क्षेत्र के लिए खातों को अवशिष्ट के रूप में पूर्व में उल्लिखित अन्य पाँच संगठित क्षेत्रों के खातों के आधार पर तैयार किया जाता है । सारणी 3.1 में क्षेत्रवार आँकड़ा स्रोत के ब्यौरे दिये गये हैं ।

सारणी 3.1 : एफओएफ खातों के संकलन के लिए आँकड़ों का स्रोत

क्षेत्र	स्रोत
1. बैंकिंग	
1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	1. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य-विवरण *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 2. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 'संचलन में नोट' और 'रुपया सिक्के और छोटे सिक्के का संचलन' के संबंध में आँकड़े *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 3. निम्नलिखित के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और सरकारी और बैंक लेखा विभाग से विशेष विवरणियाँ : (i) देय बिल; (ii) अन्य जमाराशियाँ; (iii) अन्य आस्तियाँ; (iv) अन्य देयताएँ; और (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग द्वारा निवेशों का विश्लेषित विवरण
1.2 वाणिज्यिक बैंक	1. अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों के संबंध में आँकड़े *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)*

सारणी 3.1 : एफओएफ खातों के संकलन के लिए आँकड़ों का स्रोत *(जारी)*

क्षेत्र	स्रोत
	2. मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास जमाराशियों के स्वामित्व का सर्वेक्षण *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 3. मार्च के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश का सर्वेक्षण *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋणों के संबंध में सर्वेक्षण (संगठन और व्यवसाय के अनुसार) *(मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी, भारतीय रिज़र्व बैंक)* 5. अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन *(भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट)* 6. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों और देयताओं की विविध मदों के संबंध में फार्म एक्स
1.3 सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ	1. स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया-भागI- ऋण समितियाँ, नाबार्ड में प्रकाशित सहकारी बैंकों और ऋण समितियों की आस्तियाँ और देयताएँ 2. राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं के संबंध में विशेष जानकारी
2. अन्य वित्तीय संस्थाएँ	
2.1 विकास वित्तीय संस्थाएँ	1. विकास वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्र (जैसाकि उनकी आपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों में दिये जाते हैं) 2. राज्य औद्योगिक विकास निगमों की आस्तियों और देयताओं से संबंधित विशेष जानकारी
2.2 भारतीय यूनिट ट्रस्ट	1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट का तुलनपत्र *(वार्षिक रिपोर्ट, यूटीआइ)* 2. विशेष जानकारी, जिसमें यूटीआइ के तुलनपत्र के स्कीमवार ब्यौरे दिये गये हों
2.3 बीमा	एलआइसी, जीआइसी, डीआइसीजीसी, ईसीजीसी और जीआइसी के चार सहयोगियों के तुलनपत्र और प्राइवेट बीमा कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें 1990 से और उसके बाद की । बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व के वर्षों के लिए इंडियन इंश्युरेंस ईयर बुक ।
2.4 म्युचुअल फंड	1. विविध म्युचुअल फंडों के तुलनपत्र 2. म्युचुअल फंडों से आस्तियों और देयताओं की विविध मदों के संबंध में विशेष जानकारी
2.5 गैर सरकारी भविष्य निधि	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) संगठन, कोयला खान भविष्य निधि संगठन, सीमेन्स प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और असम टी प्लांटेशन प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, एलआइसी, डॉक लेबर बोर्ड्स, सभी पत्तन न्यास, राज्य वित्तीय निगमों, औद्योगिक वित्त निगमों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स, आदि की भविष्य निधियों के तुलनपत्र
2.6 वित्तीय और निवेश कंपनियाँ	1. वित्तीय और निवेश कंपनियों के वित्त के संबंध में अध्ययन *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 2. गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमाराशियों की वृद्धि के संबंध में लेख *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)*
3. निजी कंपनी कारोबार	
3.1 गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियाँ	1. मझोली और बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, मझोली और बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की आस्तियों और देयताओं से संबंधित प्रकाशित लेख *(भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)* 2. कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार से वैश्विक चुकता पूँजी के संबंध में आँकड़े

सारणी 3.1 : एफओएफ खातों के संकलन के लिए आँकड़ों का स्रोत *(समाप्त)*

3.2 सहकारी ऋणेतर समितियाँ	सहकारी ऋणेतर समितियों की आस्तियाँ और देयताएँ; स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया-भाग II: को-ऑपरेटिव नन-क्रेडिट सोसाइटीज, नाबार्ड, में प्रकाशित
4. सरकार	
4.1 केंद्र सरकार	1. केंद्र सरकार के बजट का आर्थिक और प्रयोजनमूलक वर्गीकरण 2. संघ सरकार का वित्त लेखा. 3. केंद्र सरकार का बजट दस्तावेज 4. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का स्वामित्व पैटर्न (मुद्रा और वित्त के संबंध में रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक) 5. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के खजाना बिलों के स्वामित्व के संबंध में विशेष जानकारी
4.2 राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र	1. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित वित्त (भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन) 2. प्रत्येक राज्य सरकार का वित्त लेखा/भारत में संघ और राज्य सरकारों का संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा 3. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का स्वामित्व पैटर्न (मुद्रा और वित्त के संबंध में रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक)
4.3 स्थानीय प्राधिकरण	पत्तन न्यासों की आस्तियाँ और देयताएँ (विविध पत्तन न्यासों की वार्षिक रिपोर्टें)
4.4 सरकारी गैर विभागीय गैर वित्तीय उद्यम	1. सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की आस्तियाँ और देयताएँ (सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण, लोक उद्यम ब्यूरो, भारत सरकार) 2. राज्य बिजली बोर्डों और दामोदर घाटी निगम की आस्तियाँ और देयताएँ (जैसाकि उनकी अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित है) 3. गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमाराशियों में वृद्धि के संबंध में लेख (भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन)
5. शेष विश्व	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित भुगतान संतुलन लेखा से (i) निजी पूँजी, (ii) सरकारी विविध पूँजी और (iii) बैंकिंग पूँजी के अंतर्गत भुगतानों और प्राप्तियों के संबंध में विशेष जानकारी
6. घरेलू	इस क्षेत्र के लेखे मूलतः ऊपर वर्णित सभी पाँच क्षेत्रों के लेखों से लिये गये हैं। घरेलू क्षेत्र के सामने इन क्षेत्रों में प्रतिबिंबित आस्तियों या निधियों के उपयोग घरेलू क्षेत्र की देयताओं या निधियों के स्रोत के द्योतक हैं । इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र से देयताएँ या निधियों के स्रोत घरेलू क्षेत्र की आस्तियों या निधियों के उपयोग के द्योतक हैं । इस प्रकार घरेलू क्षेत्र के आंकडे देते हुए कोई अलग प्रकाशित स्रोत नहीं है।

3.5 संकलन की कार्यप्रणाली

एफओएफ खातों को एक क्रमबद्ध क्रियाविधि के आधार पर संकलित किया जाता है, जिसके लिए अनेक कदम उठाये जाते हैं । प्रारंभ में, वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों को गैर वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों से पृथक् किया जाना चाहिए। तथापि, गैर वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों का खंड 4.1 'परिचय' में मोटे तौर पर वर्णन किया गया है । इनके आधार पर वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेनों को पृथक् किया गया है । उदाहरण के लिए, किसी संस्था की अचल आस्तियों में परिवर्तन को इसके गैर वित्तीय प्रवाह में प्रतिबिंबित किया जाता है, जबकि प्रणाली के अंतर्गत नकदी के धारण को वित्तीय प्रवाह के अंतर्गत समूहित किया जाता है । इसलिए, वित्तीय स्वरूप वाले सभी लेनदेनों को पहचाना जाना चाहिए और वित्तीय प्रवाह निधियों में सम्मिलित किया

जाना चाहिए । दूसरे प्रक्रम में वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों को विभिन्न क्षेत्रों को समनुदेशित किया जाता है, जो उस क्षेत्र पर निर्भर करता है, जिससे या जिसको निधियाँ उधार ली जानी हैं या उधार दी जानी हैं । पुनः अंतःक्षेत्रीय लेनेदनों की निवल राशि निकाली जाती, जबकि अंतर-क्षेत्रीय लेनदेनों को दो स्थानों पर दर्ज किया जायेगा - वह क्षेत्र, जहाँ से निधियाँ आयी हैं और प्राप्तकर्ता क्षेत्र । तीसरे प्रक्रम में, वित्तीय स्वरूप वाले लेनदेनों की कोटि का निर्धारण स्रोत या उपयोग के रूप में किया जाता है, जो पूर्व में वर्णित प्राप्ति एवं भुगतान मानदंड पर निर्भर करता है । निम्नलिखित खंड में निधियों के स्रोत/उपयोग का संकलन लिखतवार और क्षेत्रवार वर्गीकरण के अनुसार करने की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है ।

3.5.1 बैंकिंग क्षेत्र

इस क्षेत्र के अंतर्गत तीन उपक्षेत्रों के खाते स्वतंत्र रूप से उनके तुलनपत्रों के आधार पर तैयार किये जाते हैं। तुलनपत्र के आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए 31 मार्च, सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के लिए 30 जून और वाणिज्यिक बैंकों के लिए मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित होते हैं । 31 मार्च की जगह अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को वाणिज्यिक बैंकों को तरजीह इसलिए दी जाती है, क्योंकि इसके कारण वर्ष के अंत में आस्तियों और देयताओं की मदों में भरी-भरकम वृद्धि की रिपोर्टिंग से बचा जा सकता है । खातों के संकलन और विभिन्न लिखतों के संबंध में क्षेत्रीय विवरण के अनुमान की प्रक्रिया प्रत्येक उपक्षेत्र के लिए नीचे प्रस्तुत की गई है ।

क) भारतीय रिज़र्व बैंक

संचलन में नोट

'संचलन में नोट' में समाविष्ट होते हैं बैंक नोट, जो (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग में धारित होते हैं और (ii) संचलन में (अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के बाहर) होते हैं । बैंक नोट और रुपया सिक्के भिन्न-भिन्न संस्थाओं/उपक्षेत्रों द्वारा उनके बचत के भाग के रूप में और प्रतिदिन के लेनदेन के लिए भी रखे जाते हैं । चूँकि विभिन्न संस्थाओं/उपक्षेत्रों द्वारा धारित नकदी में बैंक नोट और सरकारी नोट दोनों शामिल होते हैं, इसलिए प्रत्येक उपक्षेत्र के लिए अलग-अलग विवरण यह मान कर तैयार किया जाता है कि उनका एक दूसरे का अनुपात वही है, जो संबंधित वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कुल 'संचलन में नोट' और कुल 'संचलन में रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों' से संबंधित आँकड़ों में इंगित किया गया है । बैंक नोटों के क्षेत्रीय वितरण का तरीका इस प्रकार निकाला गया है, जो विभिन्न संगठित क्षेत्रों द्वारा धारित नकदी के आधार पर है, जिसकी रिपोर्ट वे अपने लेखों में करते हैं और घरेलू क्षेत्र का भाग अवशिष्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है ।

चुकता पूँजी

भारतीय रिज़र्व बैंक की चुकता पूँजी 1948 से ही 5 करोड़ रुपये रही है । चूँकि अब तक इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस मद में प्रवाह शून्य है ।

जमाराशियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा कंपनियों/निगमों, वित्तीय निगमों, और भविष्य निधियों, सरकार, शेष विश्व, अनिवार्य जमा, और अन्य (ऐसी मदें, जैसे, वसूली के लिए चेक खाता, क्रेडिट खाते की असमाशोधित मदें, फुटकर जमाराशियाँ, आदि, जिन्हें किसी क्षेत्र को आबंटित नहीं किया जा सका) की जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । 'अन्य' जमाराशियों को इन संस्थागत/उपक्षेत्रीय ब्यौरों से अलग करने के लिए 31 मार्च की स्थिति के अनुसार विशेष जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से माँगी जाती है । अनिवार्य जमा को निकाल कर भारतीय रिज़र्व बैंक की 'अन्य जमाराशियों' को समानुपाती ढंग से

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को आबंटित किया जाता है, जो विशेष जानकारी में बताये गये 'अन्य जमाराशियों' के क्षेत्रीय पैटर्न पर आधारित होता है । क्षेत्रीय आँकड़ों का अनुमान लगाने के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के खाता सं.1 में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जमाराशियों को शेष विश्व क्षेत्र के सामने अनुमानित जमाराशियों में से घटा दिया जाता है और अलग से आईएमएफ से ऋण के रूप में दर्शाया जाता है , यह आशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक उपक्षेत्र के खातों में इसलिए किया जाता है, क्योंकि शेष विश्व क्षेत्र में उपर्युक्त लेनदेनों को आधिकारिक क्षेत्र (आरबीआई) को ऋण के रूप में दर्शाया जाता है ।

देय बिल

'देय बिल' में शामिल होते हैं (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के बीच जारी किये गये बकाया ड्राफ्ट, (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थानीय भुगतान के लिए जारी किये गये बकाया भुगतान आदेश, और (ग) विप्रेषण समाशोधन खाते में बकाया शेष । 1975-76 से 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक विशेष विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जाती है । देय बिलों की राशि, जो स्थिति विवरण में दी गयी होती है, विभिन्न क्षेत्रों को विशेष विवरणी से निकाले गये क्षेत्रीय पैटर्न के आधार पर आबंटित की जाती है ।

अन्य देयताएँ

गैर वित्तीय लिखतों में लेनदेन की पहचान करते हुए उन्हें 'अन्य देयताओं' में शामिल नहीं किया जाता है । इसके प्रयोजनार्थ एक विशेष विवरणी का उपयोग किया जाता है।

रुपया और छोटे सिक्के

इस मद में समाविष्ट होते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम और बैंकिंग विभागों में धारित केंद्र सरकार के विभिन्न मूल्यवर्गों के रुपया नोट/सिक्के और अन्य स्मारक सिक्के भी (भले ही वे उच्च मूल्यवर्ग के हों), जो भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं । रुपया नोटों और सिक्कों को सरकारी क्षेत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दावे के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि, रुपया नोटों/सिक्कों को सरकार की मुद्रा देयता के रूप में दर्शाया जाता है ।

सोने के सिक्के और बुलियन

भारतीय रिज़र्व बैंक के वॉल्टों में रखे हुए सोने के स्टॉक को इस शीर्ष के सामने दर्शाया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने लेनदेन के भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से खरीदा गया सोना भी यहाँ शामिल किया जात है । पुनर्मूल्यन के कारण स्वर्ण-धारण के मूल्य में हुई वृद्धि को वित्तीय प्रवाह खाता के अंतर्गत नहीं दर्शाया जाता है । पुनर्मूल्यन के कारण इस खास राशि को पुनर्मूल्यन खाते के सामने दर्शाया जाता है और इसलिए, सोने के वास्तविक स्टॉक में बढ़ोतरी होने के कारण उसके मूल्य में हुई वृद्धि को वित्तीय प्रवाह के अंतर्गत दिखाया जाता है । इसे विदेशी आस्ति के रूप में माना जाता है और क्षेत्रीय वर्गीकरण के लिए 'शेष विश्व' क्षेत्र के सामने दर्शाया जाता है ।

विदेशी आस्तियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी आस्तियों में समाविष्ट हैं निर्गम विभाग में धारित 'विदेशी प्रतिभूतियाँ' और बैंकिंग विभाग में धारित 'विदेश में रखी जमाराशियाँ' । इनमें विदेशी केंद्रीय बैंकों एवं अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य बैंकों के पास अल्पावधि प्रतिभूतियाँ, नकद जमाशेष और सावधि जमाराशियाँ शामिल हैं । चूँकि ये विदेशी सरकारों/केंद्रीय बैंकों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के लेनदेन से संबंध रखती हैं, इन्हें क्षेत्रीय प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत 'शेष विश्व' क्षेत्र के सामने और लिखतवार वर्गीकरण में 'निवेश - विदेशी प्रतिभूतियाँ' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण में केवल सकल निवेश के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं । इसलिए, हम ऐसे निवेशों के विन्यास के ब्यौरे के लिए एक विशेष विवरणी का आश्रय लेते हैं ।

ऋण एवं अग्रिम

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण और अग्रिम तथा अन्य निधियों से ऋण के आंकड़े अलग से उपलब्ध होते हैं । ऋण के प्राप्तकर्ताओं को स्थिति विवरण में अलग से (क) केंद्र सरकार, (ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र, (ग) वाणिज्यिक बैंक, (घ) सहकारी बैंक और (ङ) वित्तीय निगमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । 'आंतरिक खरीदे और भुनाये गये बिलों' को भी ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि ये वाणिज्यिक बैंकों के बिल होते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुनाये जाते हैं। कर्मचारियों को कार, आदि खरीदने के लिए दिये गये ऋण को घरेलू क्षेत्र के ऋण के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि आवास ऋणों को सहकारी ऋणेतर समितियों को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ऐसे ऋणों का अधिकांश भाग सहकारी गृह-निर्माण समितियों को दिया जाता है ।

अन्य आस्तियाँ

चूँकि 'अन्य आस्तियों' के ब्यौरे स्थिति विवरण में रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं, इसलिए इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त एक विशेष विवरणी का उपयोग किया जाता है । वित्तेतर स्वरूप की मदें, यथा, जड़ वस्तु खाते को 'अन्य आस्तियाँ' में शामिल नहीं किया जाता है ।

ख) वाणिज्यिक बैंक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की आस्तियों एवं देयताओं के संबंध में आँकड़े मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत प्राप्त की गयी विवरणी (इसके बाद धारा 42 विवरणी के रूप में निर्दिष्ट) से लिये जाते हैं । फार्म एक्स, जो भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत प्राप्त एक मासिक विवरणी होती है, आस्तियों और देयताओं की सभी मदों के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत करता है, जिसमें धारा 42 विवरणी में उपलब्ध सभी वाणिज्यिक बैंकों के आँकड़े शामिल होते हैं और 31 मार्च के आँकड़ों पर इस उपक्षेत्र के खातों को संकलित करने के लिए विचार किया जाता है । धारा 42 विवरणी से जो ब्यौरे प्राप्त नहीं होते हैं, उनकी पूर्ति फार्म एक्स विवरणी से उपलब्ध आँकड़ों द्वारा की जाती है । इन लिखतों के अंतर्गत क्षेत्रीय ब्यौरों का अनुमान लगाने के लिए बैंक ऋण, जमा और निवेश के संबंध में भिन्न-भिन्न सर्वेक्षण परिणामों [यथा, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ (बीएसआर) 1,4 एवं 5] का उपयोग किया जाता है । लिखतवार संकलन का संक्षिप्त लेखा-जोखा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

चुकता पूँजी

चुकता पूँजी के संबंध में आँकड़े फार्म एक्स विवरणी से प्राप्त किये जाते हैं, जो बैंकों के पाँच समूहों के लिए उपलब्ध होती है, यथा, (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक, (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक, (ग) अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), (घ) अनुसूचित विदेशी बैंक और (ङ) कार्यरत गैर अनुसूचित बैंक । इन बैंकों को पुनः (i) सरकारी क्षेत्र के बैंक, (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और (iii) अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक एवं (iv) गैर अनुसूचित बैंक (अवशिष्ट) में समूहित किया जाता है, ताकि उनकी चुकता पूँजी के स्वामित्व संबंधी ब्यौरे प्राप्त हो सकें ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की चुकता पूँजी भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार रखते हैं । तथापि, यह देखा जाता

है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के खाते अभी भी कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरों में निवेश दर्शाते हैं, जो शायद क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त होने के कारण है। इसलिए केंद्र सरकार के हिस्से के संबंध में आँकड़े प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल चुकता पूँजी में से भारतीय रिज़र्व बैंक के अंशदान के साथ-साथ एलआईसी का अंशदान घटा दिया जाता है । हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए प्राथमिक बाजार में पहुँचते रहे हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की चुकता पूँजी का स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वाणिज्यिक बैंकों के बीच 50:15:35 के अनुपात में विभाजित किया जाता है । इस प्रकार सभी वाणिज्यिक बैंकों की चुकता पूँजी (क) भारतीय रिज़र्व बैंक, (ख) वाणिज्यिक बैंक, (ग) एलआईसी, (घ) केंद्र सरकार, (ङ) राज्य सरकारों और (च) घरेलू क्षेत्र के बीच आबंटित की जाती है।

जमाराशियाँ

जमाराशियों के संबंध में आँकड़े धारा 42 विवरणी से प्राप्त किये जाते हैं, जो मांग और मीयादी देयताओं का कुल जोड़ बताती है , इन जमाराशियों के स्वामित्व के विवरण मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 4 के माध्यम से उपलब्ध मार्च के अंतिम शुक्रवार को 'अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों के स्वामित्व' के सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित किये जाते हैं । स्वामित्व संबंधी ब्यौरे जमाराशियों के प्रकार द्वारा उपलब्ध होते हैं, यथा, चालू बचत, सावधि और अन्य जमा । चालू, बचत और सावधि जमा का संबंध, जो फार्म एक्स में उपलब्ध होता है, उसे धारा 42 विवरणी से प्राप्त 'अन्य' से कुल जमाराशियों पर अलग से लागू किया जाता है, ताकि कुल जमाराशियों को चालू, बचत और सावधि (नकद प्रमाणपत्र सहित) जमाराशियों में विभक्त किया जा सके। इस प्रकार अनुमानित जमाराशियों को विविध क्षेत्रों के बीच स्वामित्व सर्वेक्षण के आधार पर चालू, बचत और सावधि जमा के लिए आबंटित किया जाता है । बैंकों से प्राप्त स्वामित्व संबंधी ब्यौरे वाणिज्यिक बैंकों के सामने दिखाये जाते हैं, जिनमें शामिल होते हैं भारतीय वाणिज्यिक बैंक (सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के बैंक), विदेशी रेजिडेंट बैंक (भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के कार्यालय) और सहकारी बैंक । अन्य से जमाराशियों को वित्तीय निगमों, बीमा कंपनियों/निगमों, गैर सरकारी भविष्य निधियों, सहकारी ऋणेतर समितियों, गैर सरकारी वित्तेतर कंपनियों, सरकार (जिसमें सरकारी गैर विभागीय उपक्रम शामिल हैं), शेष विश्व और घरेलू क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है ।

देय बिल

इस मद के ब्यौरे भारत में देय बिलों और भारत से बाहर देय बिलों के अंतर्गत दिये जाते हैं । बाद वाले भाग को शेष विश्व क्षेत्र के सामने दर्शाया जाता है। पहले वाली कोटि के संबंध में अधिक ब्यौरों के अभाव में, कुल राशि को 'क्षेत्र, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है। लिखतवार वर्गीकरण में, इसे 'मद अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है।

शाखा समायोजन

इस शीर्ष के अंतर्गत आँकड़े (क) भारत में कार्यालयों और (ख) भारत से बाहर के कार्यालयों के साथ शाखा समायोजनों के लिए उपलब्ध होते हैं । जबकि दूसरी कोटि शेष विश्व क्षेत्र के साथ लेनदेन का द्योतक होती है, पहली कोटि अंतःवाणिज्यिक बैंक लेनदेनों का द्योतक होती है । आस्ति पक्ष में एक मद 'भारत में कार्यालयों के बीच शाखा समायोजन' भी दिखायी जाती है ।

विविध देयताएँ

इस मद के संबंध में आँकड़े फार्म एक्स विवरणी से प्राप्त किये जाते हैं । इसमें विविध वित्तीय और वित्तेतर स्वरूप की मदें, यथा दावा नहीं किये गये लाभांश, स्टाफ उपदान खाता, निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि, कर

देयता के लिए प्रावधान, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधियाँ, गुप्त आरक्षित निधियाँ और बकाया जमाराशियों पर प्रोद्भूत ब्याज समाविष्ट होती हैं । इसी प्रकार की एक मद, यथा, 'अन्य अमूर्त आस्तियाँ' आस्ति पक्ष में दिखायी जाती है। इसमें निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज; अदा किया गया अग्रिम कर घटाव प्रावधान और स्रोत पर कटौती किया गया कर, फुटकर, यथा, उचंत, अस्थायी अग्रिम, प्रतिभूति जमा, समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते सम्मिलित होते हैं। 'अन्य अमूर्त आस्तियों (जिनमें अंतर-वाणिज्यिक बैंक लेनदेन शामिल नहीं हैं)' को घटाकर विविध देयताओं को एफओएफ खाते के लिए वित्तीय भाग का द्योतक मान लिया जाता है ।

हाथ में नकदी

हाथ में नकदी के ब्यौरे धारा 42 विवरणी से लिये जाते हैं । इस मद को बैंक नोटों और सरकार के नोटों में विभक्त किया जाता है, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों में वर्णन होता है । बैंक नोटों को बैंकिंग क्षेत्र (भारतीय रिज़र्व बैंक) के सामने वर्गीकृत किया जाता है, जबकि सरकार के नोट को सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया जाता है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों के पास जमाराशियाँ, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

इन मदों के संबंध में ब्यौरे धारा 42 विवरणी से (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष, (ख) अन्य बैंकों के पास - (i) चालू खाता और (ii) अन्य खाते में जमाशेष और (ग) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि उपशीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किये जाते हैं । 'अन्य बैंकों के पास चालू खाते में जमाशेष' मद में वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के पास जमाशेष शामिल होते हैं । बैंकों की इन दो कोटियों में इसका आबंटन फार्म एक्स विवरणी के आधार पर किया जाता है । वाणिज्यिक बैंकों के पास अन्य खातों में जमाशेष को वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में माना जाता है ।

निवेश

अनुसूचित बैंकों के मामले में धारा 42 विवरणी और गैर अनुसूचित बैंकों के मामले में फार्म एक्स विवरणी निवेशों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत होते हैं । धारा 42 विवरणी (क) सरकारी प्रतिभूतियों, और (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में अलग-अलग आँकड़े प्रस्तुत करती है । सरकारी प्रतिभूतियों का (i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, (ii) सरकारी खजाना बिल और (iii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विश्लेषित विवरण फार्म एक्स विवरणी में दिये गये ब्यौरों के आधार पर प्राप्त किया जाता है । अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(क) के अंतर्गत अनुमोदित प्रतिभूतियाँ समाविष्ट होती हैं । इनके क्षेत्रीय आबंटन अनुसूचित और गैर अनुसूचित, दोनों ही प्रकार के बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये 'मार्च 31 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों का सर्वेक्षण' (मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 5) के आधार पर किये जाते हैं ।

बैंक ऋण

कुल बैंक ऋण 'ऋणों, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट', 'देशी बिल खरीदे और भुनाये गये', और 'विदेशी बिल खरीदे और भुनाये गये' से बनता है । पहली कोटि सभी प्रकार की ऋण सुविधाओं (बिलों से भिन्न), यथा, मांग ऋण, मीयादी ऋण, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, पैकिंग ऋण, का द्योतक होती है । देशी बिल भारत में आहरित और देय बिलों के द्योतक होते हैं, जिनमें मांग ड्राफ्ट और खरीदे और भुनाये गये चेक (भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिलों को छोड़कर) शामिल होते हैं । विदेशी बिलों में सभी प्रकार के आयात और निर्यात बिल शामिल होते हैं, जिनमें विदेशी मुद्रा में

आहरित मांग ड्राफ्ट, जो भारत में देय हों, शामिल हैं । धारा 42 विवरणी से संगृहीत कुल बैंक ऋण के संबंध में आँकड़े बैंकों और अन्य को अग्रिमों के संबंध में अलग से उपलब्ध होते हैं । चूँकि 'बैंकों को अग्रिम' में सहकारी बैंकों, भारत में वाणिज्यिक बैंकों और भारत के बाहर बैंकों को अग्रिम शामिल होते हैं, इसलिए इन ब्यौरों को फार्म एक्स विवरणी के आधार पर तैयार किया जाता है । 'अन्य' को अग्रिम का संबंध अन्य सहकारी समितियों, अन्य वित्तीय संस्थाओं गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों, सरकार (सरकारी कंपनियों सहित) और घरेलू क्षेत्र को दिये गये अग्रिम से होता है । संगठन ओर पेशे (औद्योगिक कार्यकलाप) के अनुसार बैंक ऋण के संबंध में विस्तृत जानकारी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण के संबंध में सर्वेक्षण (मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1) से उपलब्ध होती है । इस प्रयोजन के लिए वर्गीकृत व्यावसायिक समूह हैं : (i) कृषि, (ii) मझोले एवं बड़े उद्योग, (iii) लघु उद्योग, (iv) थोक व्यापार - खाद्यान्न खरीद और अन्य, (v) अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, यथा, खुदरा व्यापार, वैयक्तिक एवं व्यावसायिक सेवाएँ एवं परिवहन परिचालक और (vi) अन्य सभी (वैयक्तिक ऋणों सहित) । इन व्यावसायिक समूहों के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र में शामिल हैं भागीदारी, स्वामित्व प्रतिष्ठान, संयुक्त परिवार और व्यक्ति जैसी संस्थाएँ । इसके अतिरिक्त, 25,000 रुपये और कम की ऋण सीमा के अंतर्गत दर्शायी गयी राशि घरेलू क्षेत्र को ऋण के रूप में भी दर्शायी जाती है । केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को खाद्यान्न की सरकारी खरीद के लिए दिये गये ऋण के ब्यौरे सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण के अनुसार होते हैं, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाता है । व्यावसायिक समूह 'अन्य' में शामिल होते हैं वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं और अन्य को दिये गये ऋण। चूँकि धारा 42 विवरणी में दिये गये बैंक ऋण में अंतर-बैंक ऋण को छोड़ दिया जाता है, इसलिए 'अन्य' के अंतर्गत ऐसे ऋण पर बैंक ऋण के क्षेत्रीय वर्गीकरण के समय विचार नहीं किया जाता ।

ग) सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, इन सभी सहकारी संस्थाओं की आस्तियों और देयताओं के संबंध में प्राथमिक आँकड़े राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रकाशित भारत में सहकारिता आंदोलन से संबंधित सांख्यिकीय विवरण - भाग-I - ऋण समितियाँ, (इसके बाद सांख्यिकीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट) से प्राप्त होते हैं । चूँकि सांख्यिकी विवरण में सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं में अनेक मदों के क्षेत्रीय ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, अतः एक विशेष विवरणी विभिन्न राज्य एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी संस्थाओं से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार प्राप्त क्षेत्रीय अनुपात का प्रयोग सहकारी बैंकों और समितियों की विभिन्न तुलनपत्र मदों पर समुच्चय स्तर पर लागू किया जाता है ।

3.5.2 अन्य वित्तीय संस्थाएँ (ओएफआई)

ओएफआई क्षेत्र की विस्तृत व्याप्ति अनुबंध 3.2 में प्रस्तुत की गयी है । तथापि, इस खंड में व्याख्या करने की सुविधा के लिए और तुलनपत्रों में समानताओं के चलते विकास वित्तीय संस्थाओं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और वित्तीय एवं निवेश कंपनियों को वित्तीय निगमों और कंपनियों के अंतर्गत एक साथ मिला दिया जाता है । अतः हम ओएफआई क्षेत्र के लिए : (क) वित्तीय निगमों एवं कंपनियों, (ख) बीमा कंपनियों/निगमों, (ग) म्युचुअल फंडों (यूटीआई से भिन्न) और (घ) गैर सरकारी भविष्य निधि शीर्षों के अंतर्गत संकलन किये जाने पर चर्चा करेंगे।

क) वित्तीय निगम और कंपनियाँ

निगमों की वार्षिक रिपोर्ट और खाते अधिकांश वित्तीय निगमों के संबंध में मूलभूत स्रोत होते हैं । तथापि, 26 राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एसआइडीसी) के लिए आइडीबीआइ से एक विशेष विवरणी प्राप्त होती है । दूसरी

ओर, वित्तीय कंपनियों के लिए 'वित्तीय एवं निवेश कंपनियों के वित्त' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का अध्ययन मूल स्रोत होता है । चूँकि इस अध्ययन में केवल नमूना गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, वैश्विक आँकड़ों का अनुमान इन अध्ययनों में शामिल चुकता पूँजी के हिस्से के आधार पर लगाया जाता है ।

चुकता पूँजी

वित्तीय संस्थाओं की चुकता पूँजी के लिए अभिदान भिन्न-भिन्न कंपनियों की आर्थिक इकाइयों द्वारा किया जाता है । मोटे तौर पर, इन कोटियों को (i) भारतीय रिज़र्व बैंक, (ii) वाणिज्यिक बैंकों, (iii) सहकारी बैंकों, (iv) वित्तीय निगमों, (v) बीमा कंपनियों/निगमों (vi) केंद्र सरकार, (vii) राज्य सरकारों, (viii) शेष विश्व और (ix) घरेलू क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है । ये ब्यौरे या तो वार्षिक रिपोर्टों से चुनकर निकाले जाते हैं या संबंधित संस्थाओं की विशेष विवरणी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं । वित्तीय और निवेश कंपनियों के मामले में कुल चुकता पूँजी उपलब्ध होती है । इसके स्वामित्व का विश्लेषित विवरण वित्तीय और निवेश कंपनियों द्वारा अंतर-क्षेत्रीय निवेश को घटाकर और अवशिष्ट को घरेलू क्षेत्र में देकर निकाला जाता है ।

बांड/डिबेंचर

इस उपक्षेत्र में शामिल वित्तीय संस्थाएँ बांड और डिबेंचर जारी करती हैं । आइडीबीआइ, आइएफसीआइ, आइसीआइसीआइ, आइआइबीआइ (पहले का आइआरबीआइ), हुडको और नाबार्ड के संबंध में बांडों में अभिदान करने वालों के ब्यौरे अलग-अलग संस्थाओं से प्राप्त किये जाते हैं । एसएफसी के विवरण आइडीबीआइ से प्राप्त किये जाते हैं । प्रत्येक संस्था के लिए क्षेत्रों का विश्लेषित विवरण इस धारणा पर निकाला जाता है कि प्रतिदत्त प्रतिभूतियों का क्षेत्रीय पैटर्न वही है, जो वर्ष के दौरान जारी की गयी प्रतिभूतियों का है ।

प्रारंभिक पूँजी और यूनिट पूँजी

प्रारंभिक पूँजी और यूनिट पूँजी केवल भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती हैं । आरंभिक पूँजी में निवेश करने वालों के ब्यौरे यूटीआई से एक विशेष विवरणी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं ।

उधार

प्रत्येक वित्तीय निगम अपने उधार के स्रोतों की रिपोर्ट करता है, जिन्हें (क) भारतीय रिज़र्व बैंक, (ख) वाणिज्यिक बैंकों, (ग) वित्तीय निगमों, (घ) बीमा, (ङ) केंद्र सरकार, (च) राज्य सरकारों, (छ) शेष विश्व, और (ज) अन्य में वर्गीकृत किया जाता है ।

जमाराशियाँ

एसएफसी, आइसीआइसीआइ, एसआइडीसी और आइडीबीआइ जैसी संस्थाओं के लिए निधियों का अन्य स्रोत होता है जमाराशियों का स्वीकरण । आइडीबीआइ के पास जमाराशियाँ वे होती हैं, जो कंपनी जमा (आयकर पर अधिभार) योजना, 1976 के अंतर्गत प्राप्त की जाती हैं । गैर बैंकिंग वित्तीय (सरकारी और गैर सरकारी) कंपनियों के पास घरेलू क्षेत्र की जमाराशियों के संबंध में आँकड़े 'गैर बैंकिंग कंपनियों के पास जमाराशियों में वृद्धि' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण से लिये जाते हैं ।

अन्य देयताएँ

विविध लेनदेनों की मदें, जो इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, एक से दूसरी संस्था में भिन्न-भिन्न होती हैं । उदाहरण के लिए, उनमें शेयरों/बांडों/डिबेंचरों के लिए आवेदन राशि, फुटकर लेनदारों, प्रोद्भूत और देय ब्याज, प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं ब्याज, दावा नहीं किये गये लाभांश, विविध देयताएँ और ऐसी अन्य मदें शामिल होती हैं, जो अन्य आर्थिक यूनिट के दावे होती हैं । आइएफसीआइ और एसएफसी अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि को अन्य देयताओं के अंतर्गत दर्शाते हैं । यह मद गैर सरकारी

भविष्य निधि उपक्षेत्र के दावे के रूप में जमाराशियों के रूप में दर्शायी जाती हैं , क्योंकि सभी गैर सरकारी भविष्य निधियाँ एक उपक्षेत्र के अंतर्गत दर्शायी जाती हैं, जिसमें घरेलू क्षेत्र निधि का दावेदार होता है।

नकदी और बैंक जमाशेष

सभी निगमों द्वारा हाथ में नकदी और वाणिज्यिक बैंकों के पास चालू और सावधि जमा के अंतर्गत बैंक में जमाशेष के बारे में अलग-अलग आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं । भारत से बाहर बैंकों के पास जमाराशियों को शेष विश्व क्षेत्र के पास जमाराशियों के रूप में दर्शाया जाता है ।

ऋण और अग्रिम

ऋण और अग्रिम, विनिमय बिल खरीदे और भुनाये गये, और सहभागिता प्रमाणपत्रों को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है । ऋणों के क्षेत्रीय विवरण या तो वार्षिक रिपोर्टों/विशेष विवरणियों से प्राप्त किये जाते हैं, या दोनों स्रोतों के आधार पर अनुमानित होते हैं । वित्तीय और निवेश कंपनियों पर सर्वेक्षण से (i) अनुषंगी कंपनियों, (ii) नियंत्रक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों, (iii) किराया खरीद और (iv) अन्य के संबंध में ऋणों के ब्यौरे प्राप्त होते हैं ।

निवेश

निवेश के विवरण एक संस्था से दूसरी संस्था में अलग-अलग होते हैं । वित्तीय निगम सहकारी बैंकों के डिबेंचरों, केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों, वित्तीय निगमों (अंत:उपक्षेत्र) के शेयरों/डिबेंचरों, बिजली बोर्डों के बांडों, और अन्य (अवर्गीकृत) में निवेश करते हैं ।

अन्य आस्तियाँ

इस मद में विविध आस्तियाँ शामिल होती हैं, यथा, मार्गस्थ नकदी, निवेशों पर आवेदन राशि, वसूली के लिए भेजे गये चेक और हाथ में चेक, फुटकर देनदार, शेयरों की खरीद के लिए जमा धन, फुटकर अग्रिम, बही ऋण, और निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज । इन कोटियों के अंतर्गत क्षेत्रीय विवरण उपलब्ध नहीं होते, सिवाय कुछ मदों के । इन मदों को लिखतवार वर्गीकरण में 'अन्य मदें, जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया' के रूप में दर्शाया जाता है और क्षेत्रीय प्रस्तुतीकरण के लिए 'क्षेत्र, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है ।

ख) बीमा

चुकता पूँजी

एलआइसी और जीआइसी की चुकता पूँजी केंद्र सरकार द्वारा धारित होती है, जबकि जीआइसी की सहयोगी संस्थाओं की चुकता पूँजी जीआइसी द्वारा धारित होती है । डीआइसीजीसी की पूँजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित होती है, जबकि ईसीजीसी की चुकता पूँजी पर स्वामित्व केंद्र सरकार का होता है ।

जीवन बीमा निधि

एलआइसी जीवन बीमा प्रीमियम (आजीवन निधि के रूप में दर्शाया गया) व्यक्तियों(घरेलू क्षेत्र), और अनिवासियों (शेष विश्व क्षेत्र) से प्राप्त करता है, जिसके ब्यौरे एलआइसी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किये जाते हैं ।

उधार

साधारण बीमा कंपनियाँ भिन्न-भिन्न स्कीमों के अंतर्गत अपनी बीमा निधि के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में निधियाँ प्राप्त करती हैं ।

अन्य देयताएँ

फुटकर लेनदार, पूर्व शेयरधारकों को देय राशि, विदेश में बंद हो गयी शाखाओं के संबंध में निवल देयता, दावा नहीं किया गया लाभांश जैसी मदें और कुछ अन्य

मदें, जिन्हें 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, अन्य वित्तीय लिखतों के रूप में मानी जाती हैं और 'अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' मद में शामिल की जाती हैं ।

नकदी और बैंक जमाशेष

'हाथ में नकदी' और 'चालू खाता जमाशेष' में मद का विभाजन बीमा कंपनियों से भारत में और भारत के बाहर धारित नकदी जमाशेष के विश्लेषित विवरण के साथ प्राप्त किया जाता है । 'भारत के बाहर धारित नकदी' को शेष विश्व क्षेत्र के पास जमा के रूप में दर्शाया जाता है । हाथ में नकदी को पुनः 'आरबीआई नोट' और 'एक रुपया नोट एवं सिक्कों' में विभाजित किया जाता है ।

ऋण एवं अग्रिम

ऋणों और अग्रिमों के क्षेत्रीय विवरण उनकी वार्षिक रिपोर्टों से चुनकर निकाले जाते हैं । आस्ति मद 'बकाया प्रीमियम, जिसे उत्तम और संदिग्ध माना गया' जीवन बीमा कारोबार के मामले में दो घटकों, यथा, भारत में और भारत के बाहर कारोबार से संबंधित, में विभाजित किया जाता है । इस मद का 'भारत में' घटक घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत दर्शाया जाता है, जबकि दूसरा घटक 'भारत के बाहर' शेष विश्व क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है ।

ग) म्युचुअल फंड

प्रारंभ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा और बाद में निजी क्षेत्र द्वारा म्युचुअल फंडों (यूटीआई से भिन्न) की स्थापना किये जाने से अन्य वित्तीय संस्था क्षेत्र की व्याप्ति बढ़ गयी है । तदनुसार, एफओएफ खातों ने 1987-88 और उसके बाद से म्युचुअल फंडों को अलग से प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है । पूर्व के लेखों में, क्षेत्रीय ब्यौरों की अनुपलब्धता के कारण म्युचुअल फंडों के लिए आने वाले अभिदानों को पूरा का पूरा घरेलू क्षेत्र से आया हुआ माना जाता था । बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राप्त किये गये आँकड़ों से निकाले गये अनुपात के आधार पर म्युचुअल फंडों का क्षेत्रवार आबंटन किया गया । इस समय, विशेष रूप से डिजाइन किये गये फार्मैट के अनुसार उनके निधियों के स्रोतों और उपयोग के बारे में आँकड़े प्राप्त कर म्युचुअल फंडों से प्राप्त जानकारी को नियमित किया गया है ।

घ) गैर सरकारी भविष्य निधि

कर्मचारियों का और नियोजकों का भविष्य निधि अंशदान, अंशदायी पेंशन निधि और जमा सहबद्ध बीमा निधि इस उपक्षेत्र के लिए निधियों के स्रोत होते हैं । घरेलू क्षेत्र न केवल पहली दो कोटियों की निधियों के लिए दावेदार होता है, वरन् वह जमा सहबद्ध बीमा निधि के लिए भी दावेदार होता है, जो बीमाकृत कर्मचारी की मृत्यु होने पर भुगतान की जाती है ।

भविष्य निधि

ईपीएफ और भविष्य निधियों की वार्षिक रिपोर्टें, जिनमें कोयला खानों के कर्मचारी, असम चाय बागान और समुद्री नाविकों को शामिल किया जाता है, उन निवेशों के संबंध में आँकड़े उपलब्ध कराती हैं, जो (i) प्राप्त अंशदानों, (ii) जमा किये गये ब्याज, (iii) पहले के निवेश पर प्राप्त ब्याज आय और (iv) छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों से पुनर्निवेश, में से किये जाते हैं । तथापि, इन कोटियों के सामने निवेश-ब्यौरे उपलब्ध नहीं होते, सिवाय छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों की राशि के । छुड़ायी गयी प्रतिभूतियों में से किये गये निवेशों को कुल निवेशों में से घटाया जाता है, ताकि निवल भविष्य निधि अंशदान का कुल जोड़ प्राप्त हो । इस प्रकार प्राप्त किये गये अंशदानों का निवेश केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशि के रूप में बनाये रखा जाता है ।

परिवार पेंशन निधि

कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 में प्रवृत्त हुई और इसे ईपीएफ स्कीम के संगठनों, कोयला खानों और असम चाय बागानों द्वारा अपनाया गया । इस निधि में कर्मचारियों, नियोजकों और केंद्र सरकार द्वारा बराबर-बराबर का अंशदान किया जाता है और इसे घरेलू क्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है । इस निधि की समस्त राशि केंद्र सरकार के पास जमा की जाती है ।

जमा सहबद्ध बीमा निधि

कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा स्कीम 1 अगस्त 1976 से प्रवृत्त हुई । इस स्कीम के अंतर्गत नियोजकों और केंद्र सरकार द्वारा अंशदान किये जाते हैं । कर्मचारियों को बीमा निधि में अंशदान नहीं करना होता है । इस स्कीम का लाभ किसी कर्मचारी को, जो उसका सदस्य होता है, उसकी सदस्यता अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर दिया जाता है और इसीलिए इस निधि में अंशदान को घरेलू क्षेत्र के प्रत्यक्ष दावे के रूप में नहीं माना जाता है । निधि में प्राप्त अंशदानों को सामान्यतः (क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, (घ) लघु बचतों, और (ग) केंद्र सरकार के पास विशेष जमा में निवेश किया जाता है ।

3.5.3. निजी कंपनी कारोबार क्षेत्र

क) सहकारी ऋणेतर समितियाँ

इन समितियों के बारे में 30 जून से संबंधित ब्यौरे प्रत्येक वर्ष नाबार्ड द्वारा 'स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया-भाग II: को-ऑपरेटिव नन-क्रेडिट सोसाइटीज' में प्रकाशित किये जाते हैं । चूँकि स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स में दिये गये ब्यौरे एफओएफ खातों की सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए कुछ लिखतों का क्षेत्रीय वर्गीकरण कतिपय अनुमानों के आधार पर किया जाता है । अधिकांश समितियाँ राष्ट्रीय, राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक स्तर पर कार्य करती हैं । समितियों के पहले तीन स्तरों को शीर्ष समितियों का प्रतिनिधित्व करता माना जाता है और उनके बीच बहुत हद तक स्वयं लेनदेन किया जाता है । प्राथमिक समितियों का लेनदेन शीर्ष समितियों के साथ होने के अतिरिक्त वे सीधे घरेलू क्षेत्र के साथ भी कारोबार करती हैं ।

ख) गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियाँ

इस उपक्षेत्र के एफओएफ खातों के संकलन के लिए पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के वित्त के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराये गये अध्ययन मूलभूत स्रोत होते हैं । चूँकि अध्ययनों में केवल सीमित संख्या में कंपनियों को शामिल किया जाता है, अतः उसमें प्रस्तुत किये गये आँकड़ों को पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की वैश्विक चुकता पूँजी के आधार पर, जो डीसीए द्वारा जारी किया जाता है, समायोजित किया जाता है ।

चुकता पूँजी

कंपनी वित्त के संबंध में किये गये अध्ययन कुल शेयर पूँजी को इसकी चुकता पूँजी और जब्त पूँजी में विश्लेषित विवरण के साथ प्रस्तुत करते हैं । चूँकि जब्त शेयर कंपनी के लिए कोई देयता नहीं बनते हैं, उन्हें वित्तीय एफओएफ खाते के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें आरक्षित निधियों और अधिशेष के साथ दर्शाया जाता है । चुकता पूँजी के साधारण, अधिमानी और बोनस शेयर में विभाजन के ब्यौरे भी उपलब्ध होते हैं । बोनस शेयर वैसे शेयर होते हैं, जो कंपनी की आरक्षित निधियों के पूँजीकरण द्वारा जारी किये जाते हैं, जबकि साधारण और अधिमानी शेयर विविध क्षेत्रों द्वारा अभिदत्त होते हैं । तथापि, एफओएफ खातों में साधारण शेयर और अधिमानी शेयरों को साथ-साथ दर्शाया जाता है । साधारण और अधिमानी शेयरों के सामने दर्शायी गयी राशि में नये शेयरों के संबंध में शेयर आवेदन राशि और आबंटन राशि शामिल नहीं होती, जिन्हें चालू देयताओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है । बोनस शेयर सहित कुल चुकता पूँजी को पुनः

उसके स्वामित्व के अनुसार क्षेत्रीय खातों के आधार पर पृथक् किया जाता है, जो गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों के शेयरों में अपने निवेश की रिपोर्ट करते हैं ।

उधार

कंपनी वित्त के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कराये गये अध्ययन : (i) बैंक, (ii) आइएफसीआइ एवं एसएफसी, (iii) अन्य संस्थागत एजेंसियों (अर्थात् आइडीबीआइ, आइसीआइसीआइ, एसआइडीसी, एलआइसी और यूटीआइ जैसी भारतीय वित्तीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं), (iv) सरकारी और अर्ध सरकारी एजेंसियों और (v) अन्य के बारे में उधार के ब्यौरे देते हैं । अंतिम मद 'अन्य' में शामिल होती हैं कंपनियों द्वारा जनता से स्वीकार की गयी जमाराशियाँ । कंपनियों द्वारा अपने खातों में जमानती/बेजमानती ऋणों के अंतर्गत दर्शायी गयी सभी जमाराशियाँ ही 'जमाराशियाँ' शीर्ष के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, जिसमें कंपनियों की चालू देयताओं के अंतर्गत उल्लिखित जमाराशियों को छोड़ दिया जाता है।

व्यापारिक बकाये और अन्य चालू देयताएँ

इस शीर्ष के अंतर्गत, कंपनी वित्त के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन में (i) फुटकर लेनदारों, (ii) सहयोगी एवं नियंत्रक कंपनियों के प्रति देयताओं, (iii) ऋणों पर ब्याज और दावा नहीं किए गए लाभांश, (iv) ग्राहकों, एजेंटों, आदि से जमाराशियों और (v) अन्य के संबंध में ब्यौरे प्रकाशित किये जाते हैं। पहली कोटि में आपूर्ति की गयी वस्तुओं के लिए देयताएँ, व्यय और अन्य वित्त के लिए देयताएँ शामिल की जाती हैं । इसी के समान एक मद 'फुटकर देनदार' आस्तियाँ पक्ष के अंतर्गत उल्लिखित होती है ।

इसमें आस्थगित भुगतान के आधार पर वस्तुओं की बिक्री विभिन्न पार्टियों, यथा, अन्य गैर सरकारी कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, भागीदारी एवं स्वामित्व प्रतिष्ठान को किया जाना शामिल किया जाता है, लेकिन जिनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं होते हैं । स्वामित्व संबंधी विवरण के अभाव में यह मान लिया जाता है कि फुटकर देनदारों को घटाकर फुटकर लेनदारों की संख्या प्राप्त करते हुए अंत:कंपनी लेनदेनों को छोड़ दिया गया है और जो अंतर सामने आता है, उसे घरेलू क्षेत्र से प्राप्त/को भुगतान की गयी राशि के रूप में माना जाता है । इस उपशीर्ष के शेष घटकों को 'अन्य चालू देयताओं' के रूप में दर्शाया जाता है और लिखत के अंतर्गत 'मद अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में और क्षेत्रवार आबंटन के लिए 'क्षेत्र अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रुप में दर्शाया जाता है ।

नकदी और बैंक जमाशेष

हाथ में नकदी, वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा और डाकघर बचत बैंकों में जमा को इस उपशीर्ष के सामने दर्शाया जाता है । जैसाकि पहले अन्य क्षेत्रों के लिए बताया गया है, हाथ में नकदी को बैंक नोट और सरकार के नोटों में विभक्त किया जाता है । वाणिज्यिक बैंकों में जमा में सावधि, चालू और अन्य जमा खाते शामिल होते हैं । डाकघर बचत बैंकों में जमा को 'लघु बचत' के अंतर्गत दर्शाया जाता है ।

निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययनों में कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों को विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश और भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । पहले वाले में विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश को, जिसमें भारतीय कंपनियों के विदेशी सहयोगियों के निवेश समाविष्ट होते हैं, शामिल किया जाता है । भारतीय प्रतिभूतियों में सभी उद्धृत प्रतिभूतियाँ, यथा, सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, औद्योगिक प्रतिभूतियाँ, सहयोगी कंपनियों या उसी समूह की या नियंत्रक कंपनियों की प्रतिभूतियाँ तथा

अन्य निवेश होते हैं । औद्योगिक प्रतिभूतियों, जिनमें संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहयोगी/नियंत्रक/उसी समूह की कंपनियों के शेयर और डिबेंचर शामिल होते हैं, को अंतःकंपनी निवेशों के रूप में लिया जाता है ।

ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य नामे शेष

इस शीर्ष के अंतर्गत ऋणों एवं अग्रिमों में सहयोगी कंपनियों, उसी समूह की कंपनियों और नियंत्रक कंपनियों और अन्य को दिये गये ऋण शामिल होते हैं । 'अन्य' को दिये गये ऋणों से भिन्न सभी ऋण अंतःकंपनी ऋण और अग्रिम होते हैं, जबकि 'अन्य' को दिये गये ऋण 'क्षेत्र अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाये जाते हैं, क्योंकि ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता है ।

3.5.4. सरकारी क्षेत्र

प्रत्येक उपक्षेत्र के खातों के संकलन के लिए अपनायी गयी क्रियाविधि का वर्णन नीचे किया गया है :

क) केंद्र सरकार

'इकॉनामिक एंड फंक्शनल क्लैसिफिकेशन ऑफ दि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट' (इसके बाद इकॉनामिक क्लैसिफिकेशन के रूप में निर्दिष्ट) दस्तावेज, जो आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इस उपक्षेत्र के खातों का संकलन करने के लिए आँकड़ों का मूल स्रोत होता है । वित्तीय संस्थाओं और कंपनी क्षेत्र के मामले के विपरीत, जिसके लिए तुलनपत्र आँकड़े उपलब्ध होते हैं, 'इकॉनामिक क्लैसिफिकेशन' छह खातों का एक सेट प्रस्तुत करता हैं, जिसमें केंद्र सरकार के बजट में दिये गये आँकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया जाता है। खाता 4 और 5 केंद्र सरकार प्रशासन और इसके विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों, यथा, रेलवे, डाक एवं तार, और प्रतिरक्षा, की वित्तीय देयताओं और आस्तियों में परिवर्तन के संबंध में आँकड़े देते हैं । तथापि, आर्थिक वर्गीकरण बाजार ऋणों, खजाना बिलों, लघु बचत, अन्य प्रकार के उधार, निवेशों के माध्यम से निधियों के संवितरण और ऋणों एवं अग्रिमों का विश्लेषित विवरण प्रस्तुत नहीं करता है । सरकार के निधियों के कुछ स्रोतों तथा उनके उपयोग के क्षेत्रीय विश्लेषित विवरण प्राप्त करने के लिए अन्य विविध स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग किया जाता है । इन विविध मदों का क्षेत्रीय विवरण नीचे दिया गया है :

बाजार ऋण

बाजार ऋण ब्याज सहित ऋणों, ब्याज रहित ऋणों, क्षतिपूरक बांडों, अन्य बांडों और अन्य ऋणों से बनते हैं। 'इकॉनामिक क्लासिफिकेशन' में प्रकाशित बाजार ऋण की राशि में उन खजाना बिलों को शामिल नहीं किया जाता, जिनका निधीकरण दीर्घावधि प्रतिभूतियों में किया जाता है। इसलिए निवल बाजार ऋण की राशि (सकल प्राप्तियाँ घटाव अदायगी) को निधिक खजाना बिलों को शामिल करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिसके संबंध में आँकड़े 'एक्सप्लनेटरी मेमोरैंडम टू सेंट्रल गवर्नमेंट बजट' में उपलब्ध होते हैं । सरकार के ऋण के स्वामित्व के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के आधार पर बाजार ऋण के स्वामित्व की कोटियों को निम्नानुसार निकाला जाता है : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (अपना खाता), (ii) वाणिज्यिक बैंक, (iii) सहकारी बैंक, (iv) वित्तीय निगम, (v) बीमा, (vi) भविष्य निधि, (vii) संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ, (viii) केंद्र और राज्य सरकारें, (ix) पत्तन न्यास सहित स्थानीय प्राधिकरण, (x) राज्य बिजली बोर्ड और राज्य पथ परिवहन निगम, (xi) अनिवासी, (xii) घरेलू क्षेत्र, जिसमें व्यक्ति समाविष्ट हैं, न्यास और भारतीय रिज़र्व बैंक (दूसरों की ओर से) और (xiii) अन्य ।

खजाना बिल

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में उपलब्ध खजाना बिलों (निवल) के संबंध में आँकड़ों में दीर्घावधि प्रतिभूतियों में निधीकृत खजाना बिलों की राशि शामिल होती है । जैसाकि

बाजार ऋण के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, 'एक्सप्लानेटरी मेमोरैंडम टू सेंट्रल गवर्नमेंट बजट' से लिये गये निधिक बिलों के संबंध में आँकड़े कुल खजाना बिलों (निवल) से घटाये जाते हैं, ताकि खजाना बिलों को निधिक बिलों की राशि छोड़कर दर्शाया जा सके । इन बिलों के स्वामित्व संबंधी विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) से प्राप्त विवरणी में उपलब्ध होते हैं ।

बाह्य ऋण

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में केंद्र सरकार के शेष विश्व से उधार और उसकी अदायगी को प्रस्तुत किया जाता है । इसमें विविध अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों/एजेंसियों, विदेशी सरकारों से सरकारी उधार और तेल निर्यातक देशों से भी विशेष ऋण, और आईएमएफ ट्रस्ट फंड ऋणों के संबंध में आँकड़े शामिल किये जाते हैं । सकल उधार घटाव अदायगी को शेष विश्व क्षेत्र से केंद्र सरकार के निवल उधार के रूप में दर्शाया जाता है ।

लघु बचत

लघु बचत में समाविष्ट होते हैं डाकघरों में बचत जमा और बचत प्रमाणपत्र । इनमें शामिल होते हैं डाकघर बचत बैंक जमा, संचयी मीयादी जमा, मीयादी जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय बचत वार्षिकी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय विकास बांड, आदि । उनके स्वामित्व के संबंध में ब्यौरे निवेश क्षेत्र के खातों के आधार पर निकाले जाते हैं । खातों से यह देखा जाता है कि गैर सरकारी भविष्य निधि, स्थानीय प्राधिकरण और गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियाँ लघु बचत में निवेश करती हैं । उक्त क्षेत्रों द्वारा लघु बचत में निवेश को घटाकर जो शेष बचता है उसे घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया निवेश मान लिया जाता है ।

भविष्य निधि

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधि और सरकार द्वारा लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अंतर्गत जनता से संगृहीत राशि इस शीर्ष में शामिल की जाती है । इसे घरेलू क्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है ।

गैर सरकारी भविष्य निधि की जमाराशियाँ

केंद्र सरकार ने जुलाई 1975 में एक विशेष जमा योजना का आरंभ की, ताकि गैर सरकारी भविष्य, अधिवर्षिता एवं उपदान निधियों को बेहतर प्रतिलाभ दिया जा सके । ये ब्यौरे इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में दिये जाते हैं और इन्हें 'जमाराशियाँ - अन्य जमाराशियाँ' लिखत के अंतर्गत गैर सरकारी भविष्य निधि उपक्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है ।

विशेष वाहक बांड

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अंतर्गत जारी किये गये बांडों और केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जारी किये गये विशेष वाहक बांडों के भी ब्यौरे दिये जाते हैं। इन्हें सरकार पर घरेलू क्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है।

अन्य कर्ज

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में प्रस्तुत विविध पूँजीगत प्राप्तियों में विविध मदें शामिल होती हैं, जिन्हें एफओएफ खातों में अलग दिखाया जाता है । उदाहरण के लिए, 'डाक बीमा और आजीवन वार्षिकी निधि' को घरेलू क्षेत्र द्वारा धारित जीवन बीमा निधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । एक रुपया नोट और सिक्के मुद्रा के रूप में केंद्र सरकार की देयताओं के द्योतक होते हैं । एक रुपया नोटों और सिक्कों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित 'मुद्रा स्टॉक माप' से संबंधित सारणियों से संगृहीत किये जाते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गये एक रुपया नोटों और सिक्कों को इस राशि में जोड़ दिया जाता है, ताकि इस शीर्ष के अंतर्गत केंद्र सरकार की कुल देयताओं का पता चले । एक रुपया नोटों और सिक्कों को विविध क्षेत्रों के दावों में

विभक्त किया जाता है, जिसके लिए प्रत्येक क्षेत्र के खाते में प्रस्तुत रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों के अनुमानित धारण का उपयोग किया जाता है । अनुमान लगाये जाने की विस्तृत क्रियाविधि भारतीय रिज़र्व बैंक उपक्षेत्र खाते में वर्णित है । एफओएफ खातों में अलग से दर्शायी गयी मदों को घटाने के बाद अवशिष्ट विविध पूँजीगत प्राप्तियों को अन्य कर्ज के भाग के रूप में माना जाता है ।

निवेश

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन का खाता सं.4 केंद्र सरकार की वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत करता है । यह खाता सरकारी कंपनियों - वित्तीय एवं अन्य - और अन्य कंपनियों के शेयरों में निवेश के ब्यौरे देता है । वित्तीय कंपनियाँ सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग संस्थाओं, वित्तीय निगमों और बीमा निगमों से बनती हैं । सरकार की अन्य कंपनियाँ गैर वित्तीय गैर विभागीय उपक्रमों से संबंध रखती हैं । उक्त तीन कोटियों में विभाजित वित्तीय कंपनियों के विवरण उनके वार्षिक लेखे तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के लोक उद्यम ब्यूरो के प्रकाशन 'लोक उद्यम सर्वेक्षण' से लिये जाते हैं। अन्य कंपनियाँ गैर सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों को निर्दिष्ट करती हैं, जो निजी और सहकारी क्षेत्रों की हो सकती हैं और संयुक्त क्षेत्र की भी हो सकती हैं, जिसमें केंद्र सरकार की पूँजी 50 प्रतिशत से कम लगी हो । अन्य कंपनियों के ब्यौरों के अभाव में इन्हें 'क्षेत्र, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के सामने दर्शाया जाता है ।

ऋण एवं अग्रिम

ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण के विवरण (i) पूँजी निर्माण के लिए ऋण और (ii) अन्य ऋण के सामने दिये जाते हैं । तथापि, केंद्र सरकार के ऋण की अदायगी को केवल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य के सामने दर्शाया जाता है । पूँजी निर्माण के लिए ऋण और अन्य ऋणों के संवितरण के संस्थागत ब्यौरे (i) राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, (ii) स्थानीय प्राधिकरणों, (iii) गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम - वित्तीय एवं अन्य, (iv) विदेशी सरकारों और (v) अन्य के सामने उपलब्ध होते हैं ।

नकदी शेष

इकॉनामिक क्लासिफिकेशन अपने खाता सं.6 में केंद्र सरकार के कुल नकदी शेष को प्रस्तुत करता है, जिसे नकदी शेष में वृद्धि/कमी के रूप में दिखाया जाता है । इस शीर्ष मे कोषागारों में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ शामिल होती हैं । तथापि, विभागीय कार्यालयों (जिसमें डाक, दूर संचार, प्रतिरक्षा और रेलवे शामिल हैं) के पास नकदी को इस शीर्ष में शामिल नहीं किया जाता है । ये ब्यौरे केंद्र सरकार के 'वित्त लेखा' से प्राप्त किये जाते हैं । पुनः, कोषागारों और विभागीय कार्यालयों में कुल नकदी को विभक्त कर दिया जाता है, ताकि बैंक नोटों और सरकारी नोटों एवं सिक्कों को दर्शाया जा सके ।

अन्य मदें

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान तथा घरेलू सोने और चाँदी की निवल खरीद के संबंध में आँकड़े इकॉनामिक क्लासिफिकेशन में दिये जाते हैं । इसमें से पहले को 'शेष विश्व' क्षेत्र पर दावे के रूप में और बाद वाले को 'क्षेत्र/मद, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के रूप में दर्शाया जाता है । इंडिया सप्लाइ मिशन के पास नकदी, आइएमएफ में एसडीआर और उचंत खाता तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विप्रेषण को क्रमशः शेष विश्व के पास जमाराशियों, विदेशी प्रतिभूतियों (विदेशी मुद्रा आस्तियाँ) में निवेश और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखा (सीएफआरए) में

सभी राज्य सरकारों के संबंध में आँकड़े दिये जाते हैं । तथापि, यह प्रकाशन काफी समयांतर पर उपलब्ध होता है । सीएफआरए का प्राथमिक आँकड़ा स्रोत प्रत्येक राज्य के महालेखापरीक्षक द्वारा प्रकाशित राज्य सरकारों का वित्त लेखा होता है । यह प्रकाशन भी काफी अंतराल के बाद उपलब्ध होता है । इसलिए इस उपक्षेत्र के एफओएफ खाते के लिए मूल स्रोत राज्य सरकारों के बजट के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के वित्त के संबंध में किया गया अध्ययन होता है । इस उपक्षेत्र की लिखतवार चर्चा नीचे प्रस्तुत की गयी है :

बाजार ऋण

बाजार ऋण और बांड (जिसमें चालू और अवधि समाप्त ऋण शामिल हैं), जो बाजार में राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाते हैं, विविध प्रकार के क्षतिपूरक बांड, आवास बांड, आदि इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं । राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज या 'वित्त लेखा' बाजार ऋणों और बांडों की सकल प्राप्ति और अदायगी को प्रस्तुत करते हैं । इस अध्ययन की अवधि के लिए स्वामित्व संबंधी विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट में प्रकाशित ''केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का स्वामित्व'' के संबंध मे विवरण से निकाले जाते हैं । राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में (i) नकदी शेष निवेश खाता, (ii) ऋण शोधन निधि निवेश खाता, (iii) जमींदारी उन्मूलन निधि खाता, और (iv) राज्य सरकारों के अन्य खातों से निवेश को अंतःसरकार निवेशों के रूप में माना जाता है ।

उधार

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों, (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट और (iii) बैंकों, अन्य संस्थाओं तथा केंद्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों के रूप मे लिये गये उधार को इस शीर्ष में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधियाँ और अन्य

यह लिखत, जिसे अनिधिक कर्ज के रूप में माना जाता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों की भविष्य निधियों (जिसका शीर्षक राज्य भविष्य निधि है), राज्य बीमा निधि और अन्य को शामिल करता है । राज्य भविष्य निधि और बीमा निधि को घरेलू क्षेत्र के दावे के रूप में माना जाता है और अलग दिखाया जाता है । भुगतानों से भिन्न प्राप्तियों की रिपोर्ट यहाँ की जाती है । अनिधिक कर्ज की अवशिष्ट राशि को क्षेत्रीय/लिखतवार वर्गीकरण के अंतर्गत 'क्षेत्र/मद, अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' के अंतर्गत दिखाया जाता है ।

नकदी शेष

कोषागारों पास नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाशेष के संबंध में आँकड़े या तो सीएफआरए या प्रत्येक राज्य सरकार के वित्त लेखा से प्राप्त किये जाते हैं । (i) विभागीय कार्यालयों के पास नकदी और (ii) स्थायी नकदी अग्रदाय के सामने दर्शायी गयी राशियों को भी राज्य सरकार प्रशासन द्वारा धारित नकदी शेष में शामिल किया जाता है ।

ऋण एवं अग्रिम

'राज्य सरकारों के वित्त' के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अध्ययन में सभी राज्य सरकारों के कुल ऋण और अग्रिमों के संबंध में ब्यौरे दिये जाते हैं ; लेकिन ये एफओएफ खातों के प्रयोजनार्थ पर्याप्त नहीं होते हैं । इसलिए ऋणों के संवितरण और प्राप्ति के संबंध में ब्यौरे राज्य बजट दस्तावेजों में से निम्नलिखित उपक्षेत्रों के लिए निकाले जाते हैं : (i) सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ, (ii) वित्तीय निगम, (iii) सहकारी ऋणेतर समितियाँ, (iv) गैर सरकारें, (v) आवास बोर्ड, (vi) स्थानीय प्राधिकरण, (vii) राज्य बिजली बोर्ड, (viii) सरकार के अन्य गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम, (ix) घरेलू क्षेत्र और (x) अन्य (अवर्गीकृत) ।

ग) स्थानीय प्राधिकरण

सिद्धांत रूप में इस उपक्षेत्र में पत्तन न्यासों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए । स्थानीय स्वायत्त शासन के संबंध में आँकड़े अनुपलब्ध होने के कारण इस उपक्षेत्र के खाते तैयार करने में केवल प्रमुख पत्तन न्यासों को (जिनकी संख्या 11 है) उनकी वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर शामिल किया जाता है।

घ) गैर विभागीय गैर वित्तीय उपक्रम

इस उपक्षेत्र में उन सभी सरकारी गैर वित्तीय कंपनियों को शामिल किया जाता है, जो या तो अकेले या संयुक्त रूप में केंद्र, राज्य या स्थानीय शासन, और राज्य बिजली बोर्डों के स्वामित्व में होती हैं । केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के मामले में, उनकी आस्तियों और देयताओं के संबंध में आँकड़े 'लोक उद्यम सर्वेक्षण' में उपलब्ध होते हैं । इस प्रकाशन में उन निर्माणाधीन कंपनियों और परिचालनरत उद्यमों को शामिल किया जाता है, जो अपने कार्यकलाप से संवर्धक, वित्तीय और गैर वित्तीय होते हैं। तथापि, वित्तीय कंपनियों को इस उपक्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें अन्य क्षेत्र, यथा, 'अन्य वित्तीय संस्थाएँ' में शामिल किया जाता है । राज्य बिजली बोर्डों (दामोदर घाटी निगम सहित) के मामले में आवश्यक आँकड़े उनकी वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त किये जाते हैं । केंद्र और राज्य सरकार की कंपनियों के लिए पद्धति नीचे प्रस्तुत की गयी है :

चुकता पूँजी

लोक उद्यम सर्वेक्षण (पीईएस) केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे उद्यमों और निर्माणाधीन कंपनियों के लिए तुलनपत्र के आँकड़े देता है । चुकता पूँजी के स्वामित्व संबंधी ब्यौरे निम्नलिखित शीर्ष के सामने उपलब्ध होते हैं : (i) केंद्र सरकार, (ii) राज्य सरकारें, (iii) नियंत्रक कंपनियाँ, (iv) वित्तीय संस्थाएँ (भारतीय), (v) विदेशी पार्टियाँ और (vi) अन्य । राज्य सरकार की कंपनियों के लिए तत्समान विश्लेषित विवरण पिछले आँकड़ों के आधार पर अनुमानित होता है ।

उधार

जैसाकि चुकता पूँजी के मामले में होता है, केंद्र सरकार की कंपनियों के संबंध में क्षेत्रीय उधार के बारे में जानकारी 'ऋण के ब्यौरे' पर अनुषंगी विवरण से प्राप्त की जाती है, जो निम्नलिखित के संबंध में होती है : (i) केंद्र सरकार से कार्यशील पूँजी ऋण और (ii) अन्य उधार, जो (क) केंद्र सरकार, (ख) राज्य सरकारों, (ग) नियंत्रक कंपनियों, (घ) विदेशी पार्टियों, जिनमें आस्थगित ऋण शामिल है, (ङ) वित्तीय संस्थाओं और (च) अन्य से लिये जाते हैं ।

चालू देयताएँ और प्रावधान

चालू देयताओं को निम्नलिखित में विभाजित किया जाता है : (i) फुटकर लेनदार, (ii) सहयोगी और नियंत्रक कंपनियों के प्रति देयताएँ, (iii) ग्राहकों, एजेंटों, आदि से प्राप्त जमाराशियाँ और (iv) अन्य चालू देयताएँ । फुटकर लेनदारों को व्यापार ऋण के रूप में माना जाता है, जबकि दूसरी मद एक अंत:सरकार कंपनी लेनदेन होती है । ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियों और अन्य चालू देयताओं को, उन्हें किसी निर्दिष्ट क्षेत्र को आबंटित किये बिना, अन्य देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है । विविध गैर-चालू देयताओं को भी अन्य देयताओं के साथ ''अवर्गीकृत'' क्षेत्र में दर्शाया जाता है।

निवेश

लोक उद्यम सर्वेक्षण कुल निवेशों के संबंध में आँकड़े देता है, लेकिन केंद्र सरकार की कंपनियों के मामले में अनुषंगी कंपनियों में निवेश को इसमें शामिल नहीं किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक अध्ययन के आधार पर निवेशों का विश्लेषित विवरण निम्नलिखित में प्राप्त किया जाता है: (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, (iii) औद्योगिक प्रतिभूतियाँ, (iv) विदेशी प्रतिभूतियाँ, और (v) अन्य ।

ऋण एवं अग्रिम तथा फुटकर देनदार

केंद्र और राज्य सरकार की कंपनियों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिमों के ब्यौरे, सिवाय उनके, जो उनके सहयोगियों और नियंत्रक कंपनियों को दिये जाते हैं, उपलब्ध नहीं हैं । तदनुसार, इस शीर्ष के अंतर्गत सहयोगियों और नियंत्रक कंपनियों को दिए गए ऋणों से भिन्न कुल राशि को 'अवर्गीकृत क्षेत्र' के अंतर्गत दिखाया जाता है । फुटकर देनदार शीर्षों के अंतर्गत राशि को व्यापार कर्ज के रूप में दर्शाया जाता है और ब्योरों के अभाव में किसी अभिज्ञेय क्षेत्र को आबंटित नहीं किया जाता।

3.5.5 शेष विश्व

विदेशी इकाइयों के साथ घरेलू क्षेत्र का लेनदेन, जो मुद्रा और ऋण के माध्यम से किया जाता है, शेष विश्व के खाते में रिकार्ड किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के समग्र भुगतान संतुलन (बीओपी), जिसे चालू और पूँजीगत लेखा में वर्गीकृत किया जाता है, के संबंध में सांख्यिकी प्रकाशित करता है । बीओपी खाता लेनदेनों को जमा या नामे के रूप में रिकार्ड करता है । जबकि पहला देयताओं में वृद्धि और आस्तियों में कमी को शामिल करता है, बाद वाला देयताओं में कमी और आस्तियों में वृद्धि को शामिल करता है । दूसरा यह कि, आँकड़ों को 'नकदी आधार' पर रिकार्ड किया जाता है, जो 'उपचय आधार' से भिन्न होता है, अर्थात् जब सीमापार मुद्रा का अंतर्वाह और बहिर्वाह वस्तुतः होता है । इसलिए, खाता देय और प्राप्य राशियों की प्रविष्टियों को नहीं दर्शाता है । बीओपी खातों के विपरीत एफओएफ खाते शेष विश्व क्षेत्र के दृष्टिकोण से निर्मित किये जाते हैं । इसलिए, बीओपी सांख्यिकी में रिकार्ड किया गया जमा और नामे शेष विश्व के लिए क्रमशः नामे और जमा हो जायेगा । पूँजीगत लेखा लेनदेनों को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है, यथा, (i) निजी, (ii) बैंकिंग, और (iii) शासकीय । पूँजीगत लेखा लेनदेनों के ब्यौरों पर, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, नीचे चर्चा की गयी है :

निजी पूँजी

इस कोटि के अंतर्गत रिकार्ड किये गये लेनदेनों को 'दीर्घावधि' और 'अल्पावधि' पूँजी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है । ऋणों, शेयरों और अन्य आस्तियों में निवेश से संबंधित प्रवाह का कोटिकरण दीर्घावधि के रूप में किया जाता है , जबकि अल्पावधि पूँजी में मुख्यतः अल्पावधि उधार और उनके प्रत्यावर्तन को शामिल किया जाता है । एफओएफ खातों में इन प्रवाहों को जमा, ऋणों, निवेशों और अन्य विविध लेनदेनों में वर्गीकृत किया जाता है । बीओपी सांख्यिकी में, निजी पूँजी में आइसीआइसीआइ और बीमा कंपनियों के भी लेनदेन शामिल किये जाते हैं, जो एफओएफ खातों के प्रयोजनार्थ 'अन्य वित्तीय संस्थाएँ' क्षेत्र में वर्गीकृत की जाती हैं । इसके अतिरिक्त, अनिवासी बाह्य रुपया खाता और विविध विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में लेनदेनों को निजी पूँजी की विविध प्राप्तियों और भुगतानों के अंतर्गत रिकार्ड किया जाता है इन्हें वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । पुनः, निजी पूँजी खाते में तेल कंपनियों द्वारा सीधे या बिना नकद भुगतान के पूँजीगत उपकरणों के आयात के माध्यम से किये गये निवेश शामिल होते हैं । तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन कंपनियों के लेनदेनों को शासकीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है । इस प्रकार, एफओएफ खातों के प्रयोजनार्थ, निजी पूँजी का वर्गीकरण (क) बैंकिंग क्षेत्र, (ख) निजी कंपनी क्षेत्र, (ग) अन्य वित्तीय संस्थाएँ, और (घ) अनभिज्ञेय, में प्रत्येक प्रकार की लिखतों, यथा, जमाराशियों, ऋणों, निवेशों एवं अन्य के सामने किया जाता है।

बैंकिंग पूँजी

बीओपी खातों में 'बैंकिंग पूँजी' में भारतीय रिज़र्व बैंक के लेनदेनों को शामिल नहीं किया जाता है और यह बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की, जो विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत होते हैं [प्राधिकृत व्यापारी (एडी) के रूप में जाने जाते हैं] , विदेशी आस्तियों एवं देयताओं

में परिवर्तन के अनुकूल होता है । एडी की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (क) विदेशी मुद्रा धारणों, (ख) अनिवासी बैंकों को रुपया ओवरड्राफ्ट से बनती हैं । उनकी विदेशी देयताओं में समाविष्ट होती हैं (क) विदेशी मुद्रा देयताएँ तथा (ख) अनिवासी बैंकों और शासकीय तथा अर्ध शासकीय संस्थाओं के प्रति रुपया देयताएँ । शेष विश्व क्षेत्र की दृष्टि से एडी की विदेशी आस्तियाँ इसकी देयताएँ बनती हैं और एडी की विदेशी मुद्रा देयताएँ इसकी आस्तियाँ बनती हैं । 'बैंकिंग पूँजी' को एफओएफ खातों में वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

शासकीय पूँजी

भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र तथा राज्य सरकारों का पूँजीगत लेखा लेनदेन यहाँ शामिल किया जाता है । ये आँकड़े (i) ऋण, (ii) परिशोधन, (iii) आरक्षित निधियाँ, और (iv) विविध के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। इन मदों की व्याप्ति और वर्गीकरण को नीचे स्पष्ट किया गया है :

ऋण

बीओपी सांख्यिकी में, 'ऋणों' के सामने रिपोर्ट किये गये जमा में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विदेशी सरकारों/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण, आईएमएफ से ट्रस्ट फंड ऋण और आईएमएफ से अन्य क्रय (आहरण) समाविष्ट होते हैं । शासकीय ऋणों के संवितरण और विदेशी सरकारों को दिये गये ऋण तथा आईएमएफ से पुनर्क्रय को 'नामे' के अंतर्गत दर्शाया जाता है । इस प्रकार, भारत द्वारा ऋणों की प्राप्ति शेष विश्व के लिए आस्तियों में वृद्धि के रूप में प्रकट होती है, और विदेशी सरकारों को भारत द्वारा ऋणों का संवितरण शेष विश्व के लिए देयताओं में वृद्धि के रूप में प्रकट होता है । आईएमएफ के साथ लेनदेन, यथा, आहरण और पुनर्क्रय, जिन्हें शासकीय ऋण की प्राप्ति और भुगतान के रूप में दर्शाया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आईएमएफ खाता सं.1 के अंतर्गत बनाये रखा जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता को इंगित करता है । लेकिन फंड खाता सं.1 को सरकार की देयता माना जाता है और एफओएफ खाता में सरकार को ऋण के रूप में दर्शाया जाता है । ऐसी किसी समस्या का सामना आईएमएफ से ट्रस्ट फंड ऋण के साथ नहीं किया जाता, जिसे सत्तर के दशक में प्राप्त किया गया था, क्योंकि यह क्रय नहीं होता है और इसीलिए सरकार को ऋण के रूप में दिखाया जाता है ।

परिशोधन

सरकार द्वारा ऋणों की अदायगी को नामे के रूप में और विदेशी सरकारों से ऋणों की वसूली को जमा के रूप में 'परिशोधन' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है । शेष विश्व क्षेत्र की दृष्टि से जमा को देयताओं में कमी (ऋण) के रूप में और नामे को आस्तियों में वृद्धि (ऋण) के रूप में दर्शाया जाता है । ये लेनदेन क्षेत्रीय वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार के सामने दर्शाये जाते हैं ।

आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियों में उतार-चढ़ाव में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में शासकीय आरक्षित निधि धारण में परिवर्तन समाविष्ट होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों में रिकार्ड किये जाते हैं; एसडीआर सरकार द्वारा धारित होते हैं ।

विविध

इस मद के अंतर्गत सरकारी लेखा में किये गये अन्य सभी पूँजीगत लेनदेन आते हैं, जो या तो अल्पावधि हों या दीर्घावधि हों, जिनमें अनिवासी सरकारों, अर्ध सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धारित रुपया शेषों में उतार-चढ़ाव शामिल हैं ।

3.5.6 घरेलू क्षेत्र

जैसाकि पहले बताया गया है, उन सभी संस्थाओं को, जिन्हें ऊपर वर्णित अन्य पाँच क्षेत्रों में वर्गीकृत नहीं किया जा सका था, इस क्षेत्र में रखा जाता है । घरेलू क्षेत्र के लिए कोई स्वतंत्र तुलनपत्र या आस्ति एवं देयता खाता नहीं होता है । तथापि, इस क्षेत्र के लिए निधियों के स्रोत एवं उपयोग का खाता अप्रत्यक्ष रूप से तैयार किया जाता है, जिसके लिए अन्य 5 क्षेत्रों में घरेलू क्षेत्र के सामने निर्धारित लेनदेनों को इस क्षेत्र के खाते में अंतरित किया जाता है । इस प्रक्रिया में, अन्य क्षेत्रों में रिपोर्ट किये गये निधियों के स्रोत/उपयोग घरेलू क्षेत्र के उपयोग/स्रोत हो जाते हैं । जैसाकि पहले बताया जा चुका है, घरेलू क्षेत्र की विभिन्न लिखतों का धारण या उनकी देयताओं का अनुमान सर्वेक्षणों के द्वारा या अन्य संगठित क्षेत्र के खातों की नेटिंग करके अवशिष्ट के रूप में लगाया जाता है । वास्तव में घरेलू क्षेत्र की निधियों के निवल उपयोग घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत बनते हैं । घरेलू क्षेत्र के लिए लिखतवार पद्धति का संक्षिप्त वर्णन नीचे प्रस्तुत किया गया है ।

क. निधि उपयोग खाता

i) मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के स्रोतों से लिया जाता है । घरेलू और गैर-घरेलू क्षेत्रों के मुद्रा धारण की विगत प्रवृत्तियों के आधार पर किसी वित्तीय वर्ष में जारी की गयी 'जनता के पास मुद्रा' का 93 प्रतिशत भाग घरेलू क्षेत्र के अंशदान के रूप में माना जाता है।

ii) वाणिज्यिक बैंक जमाराशियाँ

वाणिज्यिक बैंकों के निधियों के स्रोत जमाराशियों की रिपोर्ट करते हैं और घरेलू क्षेत्र के सामने अनुमानित जमाराशियों को इस मद के सामने दर्शाया जाता है । अनुमान लगाये जाने की क्रियाविधि का वर्णन 'वाणिज्यिक बैंक खातों' के अंतर्गत किया जाता है ।

iii) सहकारी ऋण और ऋणेतर समितियों के पास जमाराशियाँ

i) इन सहकारी संस्थाओं के खातों से आँकड़े लिये जाते हैं, जैसाकि पहले बताया गया है। प्राथमिक समितियों के पास जमाराशियों को घरेलू जमाराशियों के रूप में माना जाता है ।

ii) अन्य ऋण समितियों और सहकारी बैंकों के लिए घरेलू जमाराशियों का अनुमान जमाराशियों के स्वामित्व पैटर्न के आधार पर लगाया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अतिरिक्त विवरणियों में प्राप्त होता है ।

iii) नाबार्ड का प्रकाशन उपलब्ध होने तक सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के पास जमाराशियों के बारे में अनुमान सहकारी बैंकों की जमाराशियों के आधार पर, जो भारतीय रिज़र्व बैंक धारा 42 विवरणी में उपलब्ध होता है, लगाया जाता है ।

iv) ऋणेतर समितियों के पास घरेलू जमाराशियों का अनुमान इसी प्रकार लगाया जाता है।

iv) गैर बैंकिंग कंपनियों (एनबीसी) के पास जमाराशियाँ

1) बिजली बोर्डों को छोड़कर एनबीसी के पास घरेलू जमाराशियों को भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित लेखों से सीधे प्राप्त किया जाता है ।

2) राज्य बिजली बोर्डों के पास प्रतिभूति जमा में घरेलू क्षेत्र का हिस्सा बिजली की घरेलू खपत के आधार पर तय किया जाता है ।

v) व्यापार ऋण (निवल)

यह मद निजी कंपनी क्षेत्र के स्रोतों से निकाली जाती है । इसे फुटकर लेनदारों के संबंध में व्यापार बकाया परिवर्तन घटाव फुटकर देनदारों में परिवर्तन के रूप में अनुमानित किया जाता है ।

vi) गैर सरकारी कंपनियों के शेयर और डिबेंचर

1) इस लिखत में घरेलू निवेश की जानकारी गैर सरकारी निजी गैर वित्तीय कंपनियों के स्रोतों से ली जाती है । अनुमान लगाने की क्रियाविधि उसके अंतर्गत पैरा 4.4.3 में बतायी गयी है ।

2) वित्तीय कंपनियों/सहकारी संस्थाओं के शेयरों और डिबेंचरों में घरेलू क्षेत्र निवेश का पता भी इसी प्रकार के तरीके से अन्य वित्तीय संस्था उपक्षेत्र के खातों से लगाया जाता है ।

vii) सहकारी बैंकों और समितियों के शेयर और डिबेंचर

सहकारी बैंकों, ऋण एवं ऋणेतर समितियों की शेयर पूँजी, जो व्यक्तियों और अन्य द्वारा दी जाती है, जैसाकि नाबार्ड के प्रकाशन से प्राप्त किया जाता है, को घरेलू निवेश के रूप में माना जाता है ।

viii) यूटीआई और अन्य म्युचुअल फंडों की यूनिटें

यह मद वित्तीय निगमों और कंपनियों के स्रोतों के अंतर्गत उल्लिखित होती है। घरेलू क्षेत्र के सामने रिपोर्ट किये गये आँकड़े यहाँ दर्शाये जाते हैं।

i) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) की यूनिटों में घरेलू क्षेत्र के निवेश के आँकड़े वर्ष के दौरान यूनिट पूँजी में वृद्धि के प्रति घरेलू क्षेत्र (अर्थात्, वयस्क/व्यक्ति, अवयस्क, हिन्दू अविभक्त परिवार और न्यास/ समिति) का कुल बिक्री में, पुनर्क्रय को घटाने के बाद, अनुपात का प्रयोग कर प्राप्त किये जाते हैं ।

ii) अन्य म्युचुअल फंडों में घरेलू क्षेत्र के निवेश के आँकड़े सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेष विवरणी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं । यदि जरूरत पड़े, तो सरकारी क्षेत्र के म्युचुअल फंडों और यूटीआई के लिए निकाला गया घरेलू क्षेत्र का अनुपात निजी म्युचुअल फंडों में घरेलू क्षेत्र के निवेश का पता लगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ix) सरकार पर दावे

सरकार पर घरेलू क्षेत्र के दावे में उनके लघु बचतों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल होते हैं । घरेलू निवेशों का अनुमान लगाने की पद्धति केंद्र सरकार उपक्षेत्र में वर्णित है ।

x) जीवन बीमा निधियाँ

इस घटक में बीमा उपक्षेत्र के अंतर्गत रिपोर्ट की गयी जीवन बीमा निधि और सरकारी क्षेत्र में रिपोर्ट की गयी डाक/राज्य बीमा निधि को शामिल किया जाता है ।

xi) भविष्य और पेंशन निधियाँ

भविष्य निधि (पीएफ) में घरेलू क्षेत्र की बचतों के आँकड़े भविष्य निधि उपक्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के खातों (स्रोतों) से निकाले जाते हैं ।

इसकी व्याप्ति और अनुमान लगाने की क्रियाविधि उस खंड में विस्तृत रूप से बतायी गयी है ।

ख) निधि स्रोत खाता

निधियों के स्रोतों मुख्यतः वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, सहकारी बैंकों और ऋण समितियों, सहकारी ऋणेतर समितियों, अन्य वित्तीय निगमों और कंपनियों, सरकार से घरेलू क्षेत्र के उधार समाविष्ट होते हैं । ये आँकड़े, जो उनके निधियों के उपयोग शीर्ष में 'ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाते हैं, घरेलू क्षेत्र के लिए निधियों के 'स्रोतों' के रूप में अंतरित किये जाते हैं । इनसे घरेलू क्षेत्र के उधार का अनुमान लगाने की क्रियाविधि उपखंडों में बतायी गयी है ।